अभियान आयोजकों का प्रशिक्षण

पहला चरण

रिपोर्ट

स्थान - राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

(19-11-96 से 25-11-96)

पॉपुलर एजूकेशन एण्ड एक्शन सेन्टर
93,** कटवारिया सराय, नई दिल्ली **- 110 016
*फोन/फैक्स : **696 8121***

एक लम्बे अरसे से महसूस किया जा रहा है कि जन समस्याओं और मुद्दों का हल स्थानीय स्तर पर निकल पाना नामुमकिन हो गया है। खासकर अगर मसला संसाधनों तक पहुँच और उन पर हक का है तब तो उसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय शक्ल अख्तियार करना लाज़मी है। ऐसे में स्थानीय संगठन व कार्यकर्ता, जिन्होंने बडे जतन, लगन और मेहनत से मुद्दे और उस पर संघर्ष को एक स्तर तक पहुंचाया होता है, अपने आपको फंसा हुआ महसूस करते हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ या भोपाल स्थित बिचौलिया संस्थाओं से मदद की गुहार लगाना उनकी नियति है। अब तक के अनुभव बताते हैं कि ऐसे में मदद तो जरूर मिलती है लेकिन जन संघर्ष की धार और दिशा बिचौलिया संस्थाओं के विशेषज्ञतापूर्ण चरित्र से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहती।

तमाम स्थानीय संघर्षो से जुड़े संगठनों व कार्यकर्ताओं से इस संदर्भ में चर्चा करने से पता लगता है कि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत व्यापक एवं विस्तृत ढांचों व प्रक्रियाओं में पैठ बना सकने की क्षमता से जुड़ी है। प्रखण्ड एवं जिला स्तर से परे नौकरशाही, मीडिया, राजनैतिक संगठनों एवं उनके नेतृत्व सभी के चरित्र में गुणात्मक अंतर हमारी व्यवस्था की विशेषता है और इन पर काबिज लोग अंग्रेजी और अंग्रेजियत से प्रेम के साथ–साथ अपने व्यवसाय के छद्म प्रभामण्डल को महिमामण्डित रखने में निपुण हैं। इन दोनों चीजों का मिला–जुला असर स्थानीय संगठनों व कार्यकर्ताओं को व्यथित एवं विचलित करने के लिए पर्याप्त होता है।

स्थानीय संगठनों व कार्यकर्ताओं में संघर्ष और अभियान की स्पष्ट एवं नियोजित रणनीति का अभाव उक्त संदर्भो में 'आग में घी' का काम करता है और उन्हें बिचौलिया संस्थाओं के सामने निरीह बना देता है। पिछले पाँच वर्षो के दौरान यत्र–तत्र हुई चर्चाओं पर मनन व मंथन करते हुए हमारी टीम ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण का एक ऐसा प्रारुप विकसित करने का प्रयास किया है जिससे **स्थानीय मुद्दों पर अभियान आयोजन की जिम्मेदारी उठाने वाले कार्यकर्ताओं में व्यापक एवं विस्तृत ढांचों व प्रक्रियाओं में पैठ बना सकने की हिम्मत और क्षमता बढने की उम्मीद है।** इस आशय का पहला प्रशिक्षण 19 से 25 नवम्बर, 1997 के बीच राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काम करने वाले विभिन्न समूहों के कुल 25 सहभागियों ने भाग लिया।

सहभागियों के औपचारिक स्वागत के बाद परिचय का सत्र चला। परिचय के लिए सहभागियों को तीन–चार बिंदु दिए गए। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर परिचय हुआ। व्यक्तिगत परिचय समाप्त होने के बाद फेसिलिटेटर समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस प्रशिक्षण को करने की सोच कहां से उत्पन्न हुई। सहभागियों को बताया गया कि इस विषय पर कार्यशाला आयोजन का यह हमारा पहला प्रयास है इसलिए किसी बंधे–टिके रूपरेखा में इस कार्यक्रम को नहीं चलाया जा सकता।

व्यवस्थागत औपचारिकताओं से सहभागियों को परिचित कराने के बाद एक छोटा ब्रेक लिया गया।

ब्रेक के बाद आगे के कार्यक्रम के लिए आधार तय करने हेतु सहभागियों को अपने–अपने समूह में ऐसे किसी अभियान आयोजन के अनुभवों को प्रस्तुत करने को कहा गया जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया हो। यह तय किया गया कि सहभागी इस अनुभव को चार्ट पर लिखकर गीत, नाटक आदि किसी भी विधि का प्रयोग कर प्रस्तुत कर सकते हैं।

चूँकि सहभागी पिछली रात यात्रा करने की वजह से थके हुए थे, अतः यह तय हुआ कि शाम को वे अपने अनुभवों को संकलित कर लें और प्रस्तुतीकरण दूसरे दिन सुबह के सत्र में किया जाय।

दूसरा दिन 20-11-97

दूसरे दिन की सत्र की शुरूआत कुछ एक गानों से हुई। इसके बाद सभी समूहों ने अभियान आयोजित करने के अपने–अपने अनुभवों को बड़े समूह में प्रस्तुत किया। यह पाया गया कि समूहों ने विभिन्न मुद्दों जैसे कि शराब बंदी, महिला उत्पीड़न, बालिका नामांकन, जमीन का मुद्दा, सामाजिक कुरीतियों आदि पर विभिन्न कार्यवाहियों को आयोजित किया है, जिसमें वे कई बार सफल भी रहे हैं और कई जगहों पर असफलता भी हाथ लगी है। कुछ एक प्रस्तुतीकरण से यह भी जानने को मिला कि एक मुद्दे पर सफल होने के बाद समूह ने उस मुद्दे से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं पर भी कार्यवाही की है।

समूह प्रस्तुतीकरण करीब साढ़े तीन बजे तक चला। इसके बाद चाय के लिए ब्रेक लिया गया। शाम के सत्र की शुरूआत करते हुए फेसिलिटेटर समूह ने सहभागियों का ध्यान विभिन्न प्रस्तुतियों की ओर आकर्षित किया। सहभागियों की विभिन्न प्रस्तुतियों का हवाला देते हुए फेसिलिटेटर ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ घटना घटी और उसके संदर्भ में कुछ एक कार्यवाही हुई। इस तरह की कार्यवाही में समयाभाव की वजह से विस्तृत रूप में योजना नहीं बन पाती है और मात्र थोड़े से संपर्क सूत्रों के माध्यम से कार्यवाही को अंजाम देना पड़ता है। इस तरह की कार्यवाही में घटनाओं /मुद्दों से जुड़े समाज के कई अन्य पक्ष अनजाने में छूट जाते हैं, जिससे कार्यवाही पर विपरीत असर पड़ता है।

अपने आस–पास और व्यापक स्तर पर एक तरह की कई घटनाओं की पुर्नरावृत्ति मुद्दा का रूप लेती है और मुद्दे पर लम्बी लड़ाई को जारी रखने के लिए अभियान आयोजन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि अभियानों का आयोजन एक लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए होता है, इसलिए इसकी तैयारी कार्यवाही आधारित स्थानीय सक्रियता से भिन्न होगी। हमारी सफलता इस बात में निहित होती है कि घटनाओं और कार्यवाहियों के अपने अनुभवों का भरपूर उपयोग करते हुए उसे अभियान की शक्ल दी जाय।

अभियान आयोजन में विभिन्न स्तरों पर तमाम तरह की कार्यवाहियां आयोजित की जाती हैं और मुद्दे पर सतत् कार्यवाही हेतु एक खास किस्म की रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ती है। **हमारी रणनीति की सफलता इस बात पर निहित होती है कि ''समाज के विभिन्न हिस्सों / पक्षों की मुद्दों पर समझ'' पर हमारी पकड़ कैसी है।** समाज के विभिन्न पक्ष मुद्दे के प्रति अपनी क्या समझ रखते हैं और मुद्दे से किस तरह का रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। स्थानीय, क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर मुद्दे से प्रभावित, लाभान्वित एवं तटस्थ रहने वाले समूह कौन हैं, वे क्या चाहते हैं आदि तमाम बिंदुओं पर हमारी पकड़ रणनीति बनाने का आधार बनती है। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की प्रक्रिया चलने के बाद सहभागियों को एक कार्य अभ्यास हेतु दिया गया। सहभागियों को चार समूहों में बांटा गया और उन्हें कहा गया कि अपने–अपने समूह में वे मुद्दा तय करें और मुद्दे के संदर्भ में स्थानीय, क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित, लाभान्वित और तटस्थ समूह के रूप में वर्गीकृत कर सूची बनाएं। इस कार्य के लिए सहभागियों को एक घंटे का समय दिया गया।

कार्य समाप्त होने के बाद सहभागियों ने बड़े समूह में अपने–अपने कार्य को प्रस्तुत किया। समूह प्रस्तुतीकरण निम्न है :–

समूह - 1 औरतों की पहचान का सवाल

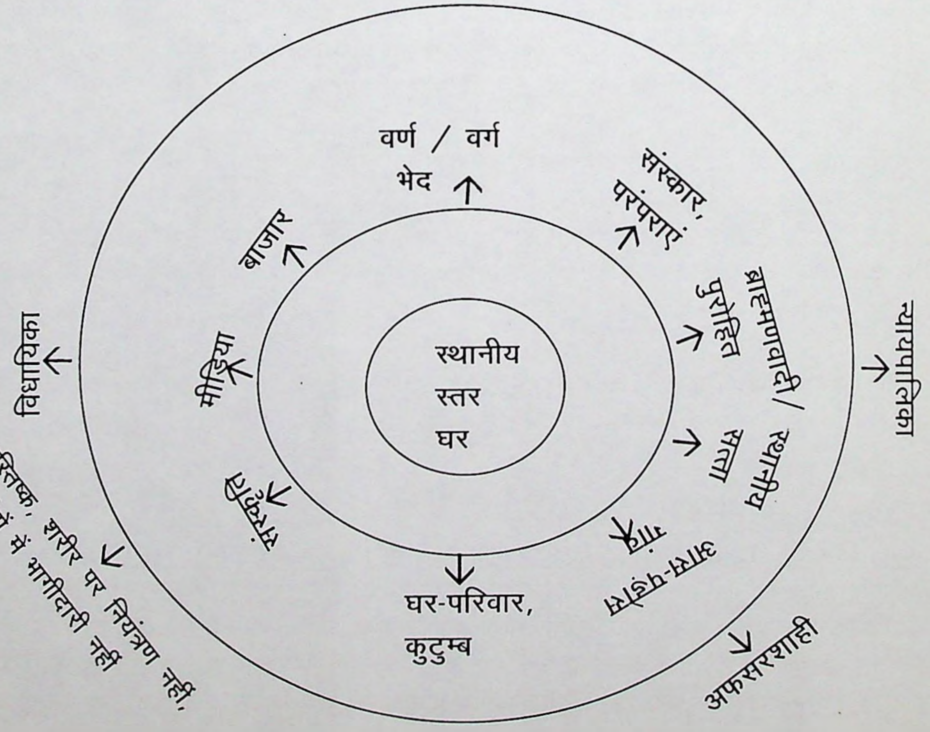

समूह - 2 नकली दवाओं का व्यापार

स्थानीय स्तर पर-

फायदा	फुटकर दवा विक्रेता (मुनाफा ज्यादा होता है)
नुकसान	(मरीज को) स्वास्थ्य, आर्थिक
तटस्थ	स्थानीय नागरिकों (जिनको जानकारी नहीं होती)

क्षेत्रीय स्तर पर -

फायदा	थोक विक्रेता (मुनाफा ज्यादा होगा) दवा निरीक्षक, डाक्टर समुदाय (मुनाफे में भागीदार बनते हैं)
नुकसान	मरीजों (खास कर कम पढ़े–लिखे लोगों का) असली दवा बेचने वालों का
तटस्थ	स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, स्थानीय जन–प्रतिनिधि

व्यापक स्तर पर -

फायदा	दवा बनाने वाली कम्पनी उच्च प्रशासनिक स्वास्थ्य अधिकारी जन–प्रतिनिधि
नुकसान	असली दवा बनाने वाली कम्पनी सरकारी राशि में कमी होती है जन स्वास्थ्य का सरकार पर अधिक दबाव
तटस्थ	जनता उदासीन कानून को लागू करने वाले कानून का पालन करने वाले मीडिया उदासीन होता है।

समूह - 3 हमारे संसाधन - वृक्ष

सामाजिक फायदे	घास, लकड़ी, जड़ी–बूटियां, रेशम, जल–जमीन का बचाव, इमारती लकडियां, हस्त–शिल्प, फल, शुद्ध हवा।
नुकसान	प्रदूषण, वन्य जीवों को हानि, औषधि की कमी, आपसी मनमुटाव, स्थानीय कारीगरों को।
आर्थिक फायदे	वन विभाग व अधिकारी, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, विदेशी कम्पनियों को।
आर्थिक शोषण (स्थानीय)	उन्ही से जंगल कटवाना, मजदूरी कम देना, झूठा आरोप लगाकर वन विभाग द्वारा प्रताडित करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।
प्रभावित लोग	मजदूर, महिलाएं, बच्चे।
तटस्थ	जिनका स्वार्थ है, वे तटस्थ रहते हैं। जानकारी के अभाव वाले।

समूह - 4 औरत हिंसा - बलात्कार

प्रभावित	सम्पूर्ण महिला समाज	महिला मुद्दों व जन आंदोलनों से जुड़े लोग
	निर्धन महिलाएं	अशिक्षित महिलाएं
	पिछड़ी जाति की महिलाएं	महिला अध्यापिका
	छोटे–छोटे उद्योगों से जुड़ी महिलाएं	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की महिलाएं
	वकील	प्रोफेसर
	डाक्टर	जज
लाभान्वित -	धर्म, परम्परा, साहित्य	पितृसत्तात्मक समाज
	सामन्ती प्रवृत्ति के लोग	अन्धविश्वास, संस्कृति

	सत्ताधारी	बाजार
	गुण्डा तत्व	पुलिस प्रशासन
	कानून (न्याय व्यवस्था)	स्थानीय
	प्रधान	पटवारी
	क्षेत्र पंचायत (बी. डी. सी. का मेम्बर)	ब्लाक प्रमुख
तटस्थ -	सेठ	साहूकार
	सवर्ण जाति	सरकारी कर्मचारी
	महिलाओं का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले लोग	भयभीत लोग

प्रस्तुतीकरण के दौरान सभी ने महसूस किया कि कार्य के हिसाब से अपेक्षित नतीजे नहीं निकले। ऐसा इसलिए भी हुआ कि समूह विभाजन गिनती के आधार पर किया गया था, जिससे कि किसी भी समूह में किसी एक मुद्दे का साझा अनुभव नहीं था। इस स्थिति ने समूह के कार्य को प्रभावित किया। फेसिलिटेटर समूह के बीच यह तय किया गया कि इस कार्य को बेहतर ढंग से कर पाने के लिए मुद्दे निर्धारित कर दिए जाएं और सहभागी अपनी रूचि के आधार पर किसी एक मुद्दे पर कार्य करें।

तीसरा दिन 21-11-97

तीसरे दिन की सत्र के शुरूआत कुछ एक गानों से शुरू हुई। इसके बाद सहभागियों को चुने गए दो मुद्दों के बारे में बताया गया। ये दो मुद्दे निम्न हैं :–

1. महिला उत्पीड़न **2. शराब बंदी**

सहभागियों से कहा गया कि अपनी रूचि के अनुसार किसी एक मुद्दे को वह चुन लें। इसके बाद दोनों पक्षों पर सहभागियों के बीच से दो–दो समूह बनाए गए। इस तरह कुल चार छोटे समूह बने।

समूह बनाने के बाद फेसिलिटेटर ने सहभागियों को कार्य स्पष्ट किया। बीते कल के काम को ध्यान में रखते हुए फेसिलिटेटर ने सहभागियों को कल वाले काम के अतिरिक्त मुद्दे से संबंधित ढांचों और प्रक्रियाओं को भी चिन्हित करने को कहा। दो–एक उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया गया कि कैसे विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचे आदि किसी मुद्दे को एक खास ढंग से प्रभावित करते हैं।

कार्य स्पष्ट होने के बाद चारों समूह अपना काम करने के लिए बैठे। एक बार समूह में काम पूरा होने के बाद समूहों को अपने कार्य को प्रस्तुतीकरण के हिसाब से बड़े चार्ट पेपर पर लिखने को कहा गया। इसके लिए सहभागियों को फेसिलिटेटर समूह द्वारा बड़े चार्ट पेपरों पर रूपरेखा तैयार करके दी गई।

शाम करीब चार बजे प्रस्तुतीकरण शुरू हुआ। प्रस्तुतीकरण के दौरान सहभागियों ने एक–दूसरे से प्रश्न पूछे और जहां–कहीं जरूरत महसूस हुई, फेसिलिटेटर समूह ने भी स्पष्टीकरण दिया। चारों प्रस्तुतियों के आधार पर इस विषय पर भी चर्चा चली कि कैसे व्यापक स्तर के ढांचे एवं प्रक्रियाएं मुददे को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए शराब बंदी के मुद्दे पर केन्द्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई। शराब के व्यापार से होने वाली सरकारी खजाने में वृद्धि और शराब बंदी से होने वाले अवैध शराब के व्यापार एवं काले धन और अपराधीकरण में होने वाली वृद्धि पर सहभागियों का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके साथ ही खगोलीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था द्वारा पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई।

कुल मिला कर फेसिलिटेटर समूह ने सहभागियों को यह समझने में मदद की कि **स्थानीय संघर्ष के लिए मुद्दे पर व्यापक समझ और दृष्टि रखने की आवश्यकता है। चारों समूहों का प्रस्तुतीकरण आगे दिया जा रहा है :**

चौथा दिन 22-11-97

चौथे दिन शराब बंदी पर कार्य कर रहे दोनों समूहों को मिलाकर एक समूह बनाया गया। इसी तरह महिला उत्पीडन वाले समूह को भी मिलाया गया और उन्हें पिछले दिनों के चार्ट को ध्यान में रखते हुए परिवेश के मुख्य पक्षों को चिन्हित करने का काम दिया गया। इस कार्य के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया। कार्य समाप्त करने के बाद दोनों समूहो ने बड़े समूह में अपने कार्य को प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण निम्न है :–

समूह - 1 (महिला उत्पीड़न)	**समूह - 2 (शराब बंदी)**
परिवार	ग्राम पंचायत / जन प्रतिनिधि
धर्म	परिवार (महिला / बच्चे)
जाति	सामाजिक संगठन
बाजार	शिक्षण संस्थाएं
मीडिया	कामकाजी महिलाएं
शासन	मजदूर
पुलिस प्रशासन	पुलिस प्रशासन
सेना	आबकारी विभाग / राजस्व विभाग
अर्थ-व्यवस्था	मद्य निषेध विभाग
समाज	मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक)
राजनीति	ठेकेदार / माफिया
पंचायत	खेल उद्योग / विभाग
शिक्षा व्यवस्था	बाजार

एक बार मुख्य पक्षों पर साझा समझ बनने के बाद सहभागियों को एक अन्य कार्य समूह में करने को कहा गया। इस कार्य को निम्न तीन चरणों में करना था–

चरण - 1 *परिवेश के विभिन्न पक्षों का मुद्दों पर नजरिया क्या है ?*

चरण - 2 *उस नजरिए का तर्क क्या है ?*

चरण - 3 *तर्क का आधार क्या है ?*

इस कार्य को सभी सहभागियों ने तल्लीन होकर पूरा किया। साथ ही इसे पूरा करने में कई बार उन्हें दिक्कत भी आई। समाज के विभिन्न पक्षों के नजरिए को बारीकी से देखना और उससे संबंधित तर्क और आधार ढूंढना एक तरह से उनके लिए आश्चर्य चकित करने वाला तथ्य था। कई सहभागियों को हैरत हुई कि कैसे तमाम पक्ष किसी खास मुद्दे को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं।

कार्य को तीन समूह शाम तक पूरा कर पाए। एक समूह को अगले दिन एक घंटा कार्य पूरा करने के लिए दिया गया।

पांचवा दिन 23-11-97

चौथे समूह द्वारा समूह कार्य पूरा करने के बाद समूह कार्य का प्रस्तुतीकरण शुरू हुआ। प्रस्तुतीकरण निम्न है :

समूह - 1

पक्ष	नजरिया	तर्क	आधार
परिवार	परिवार में अलग अस्तित्व न स्वीकारना / लक्ष्मण रेखा	घर की शोभा, अन्नपूर्णा	परंपरा, रीति–रिवाज, अंधविश्वास
धर्म	दबाकर रखने की साजिश देवी और दासी	ढोल गंवार सूद्र पसु नारी लातों की देवी. . . .	उपभोग

जाति	अपमानित करने का माध्यम बनाना (खासकर निम्न जाति की महिलाओं को)	औकात का अहसास कराना	शोषण करने की मानसिकता
कानून	लचीला एवं पेचीदा कानून	सबूतों और गवाहों का अभाव,	पुरूष सत्ता को बनाए रखना,
बाजार	औरतों का व्यवसायिक इस्तेमाल	अधिक मुनाफा, ज्यादा बिक्री	आंकडे बताते हैं, ज्यादा व्यवसायिक लाभ
मीडिया	उपभोक्तावादी युग में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन व वस्तुकरण	महिलाओं से संबंधित सामग्री का ज्यादा वितरण	
शासन	दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर शासन से दूर रखना	महिलाओं के पास शासन चलाने की क्षमता नहीं होती	पुरूष वर्चस्व को बनाए रखना और महिला के प्रति पूर्वाग्रह,
प्रशासन	महिलाओं के प्रति असंवेदनशील	महिलाओं के साथ ऐसा होता ही रहता है	पुरूष प्रधान मानसिकता
पुलिस प्रशासन	महिलाएं शोषण की पात्र हैं	सारे बबाल की जड़ महिलाएं हैं	दमन की प्रवृत्ति कूट–कूट कर भरी होना
सेना	युद्धों में औरतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना	शत्रु पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए	शोषण के लिए बहाना बनाना
अर्थव्यवस्था	महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर रखना	महिलाएं फिजूलखर्ची और नासमझ होती हैं	अशिक्षा और भोली–भाली
समाज	महिलाओं के प्रति शंकालू दृष्टिकोण	असुरक्षित माहौल	संस्कार, पूर्वाग्रह
राजनैतिक	योजना बनाने से वंचित रखना, सत्ता से दूर रखना	राजनैतिक चेतना नहीं होती है	पुरूष वर्चस्व रखना

समूह - 2	**महिला उत्पीड़न**		
परिवार	महिलाओं को घर के कार्यों तक सीमित रखना	प्रारंभ से ऐसा ही होता आया है	पुरूष प्रधान पारिवारिक व्यवस्था के तहत
	महिला एवं पुरूष के प्रति असमानता का नजरिया	चौका–बर्तन एवं परिवार की सेवा करने का काम औरतों का है औरत, पुरूष के मुकाबले कमजोर होती है	
धर्म	दोहरा मापदण्ड	महिलाएं, पुरूषों के मुकाबले हीन होती हैं	धर्म ग्रंथ धर्म गुरू
राजनीति	राजनीति में महिलाओं का इस्तेमाल	घर के कार्यों में तटस्थता बाहर की दुनिया से परिचय न होना राजनीति, औरतों का काम नहीं औरतों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है	राजनीति में पुरूषों के वर्चस्व को बनाये रखना
प्रशासन	औरत के प्रति उदासीन व असंवेदनशील	महिलाओं के साथ ऐसा होना आम बात है	पुरूष वर्चस्व
बाजार	महिलाएं उपभोग की वस्तु	महिलाएं हमेशा से ही उपभोग एवं विलासिता की वस्तु रही हैं कम जोखिम में अधिक आय अर्जित करने का साधन	उपभोक्तावादी संस्कृति को कायम रखना बाजार पर पुरूष वर्चस्व
मीडिया	महिलाओं का गलत उपयोग रूकना चाहिए	नारी प्रधान फिल्म का निर्माण, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए	नारीवादी समझ
	महिलाएं विलासिता की वस्तु	विज्ञापनों में महिलाओं का इस्तेमाल	उपभोक्तावादी साम्राज्य

समूह - 3 **शराब बन्दी**

परिवार

नजरिया	शराब बन्दी चाहते हैं।
तर्क	सामाजिक बुराई है।
आधार	पारिवारिक कलह का जन्म होना।

सामाजिक संगठन

नजरिया	सामाजिक संगठन शराब बन्दी के पक्ष में हैं।
तर्क	काम करने में समस्या।
आधार	असुरक्षा का भय।

कामकाजी महिलाएं

नजरिया	शराब बन्दी चाहते हैं।
तर्क	पूरे परिवार की असुरक्षा का भय।
आधार	बलात्कार का डर, लड़ाई–झगड़ा, आर्थिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना।

मजदूर

नजरिया	कुछ मजदूर शराब बन्दी के पक्ष में हैं जबकि कुछ एक शराब बंदी नहीं चाहते हैं।
तर्क	शराब एक कैंसर की बीमारी, इससे जनजीवन प्रभावित होगा।
आधार	पारिवारिक कलह नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक रहता है।
तर्क	थकान दूर होती है, शरीर को ताकत मिलती है, मनोरंजन होता है।
आधार	शराब के बारे में समझ नही है, जानकारी का अभाव

पुलिस प्रशासन

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	बेचने वाले को लाइसेन्स प्राप्त है।
आधार	कानून के रक्षक होने के नाते, प्रमाण पत्र के आधार पर।

आबकारी विभाग

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	शराब बन्दी होने पर जहरीली एवं अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाएगी।
आधार	जिन क्षेत्रों में शराब बन्दी की गई है वहां पर बढ़ती अवैध शराब की बिक्री के आधार पर

राजस्व विभाग

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	आय का स्रोत बन्द होगा।
आधार	बजट का असन्तुलन आर्थिक रूप से कार्यो में रूकावट।

मद्यनिषेध विभाग

नजरिया	पक्ष में है।
तर्क	प्रशासन के निर्देशानुसार।
आधार	क्षेत्र निश्चित है।

मीडिया

नजरिया	मोटे तौर पर बन्दी के पक्ष में है।
तर्क	आय का साधन।
आधार	उपभोगताओं की रूचि एवं प्रवृत्तियों के अनुसार।

ठेकेदार

नजरिया	शराब बन्दी के पक्ष में नहीं हैं।
तर्क	आय का स्रोत।
आधार	बेरोजगारी फैलेगी, शराब की चोर बाजारी बढ़ेगी।

क्रीड़ा विभाग

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	खेलों का आयोजन बन्द हो जाएगा।
आधार	व्यापार का आधार माना जा रहा है।

पंचायत

नजरिया	ग्राम पंचायत का नजरिया शराब बन्दी के पक्ष में है।
तर्क	गांव के मजदूर, किसान परिवार में मानसिक, आपसी मन–मुटाव तथा गांव की शांति भंग होती है।
आधार	एक आदर्श पंचायत की कल्पना।

समूह - 4 शराब बन्दी

परिवार/महिला, बच्चे

नजरिया	परिवार में पीने वाले सदस्य के प्रति अच्छी धारणा नहीं होती क्योंकि परिवार में अनेक तरह से सभी सदस्य प्रभावित होते हैं।
तर्क	परिवार में शराब पीने से आर्थिक, शारीरिक बीमारी, घर में कलहबाजी, मानसिक तनाव, अलगावपन, मार–पीट आदि।
आधार	इससे परिवार प्रभावित हो रहा है। बच्चे, पास–पडोस, रिश्तेदार, वातावरण इत्यादि।

ग्राम पंचायत /जन प्रतिनिधि

नजरिया	इनके दो नजरिए हैं – 1 - वोट लेने के समय तथा किसी काम करवाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। 2 - दूसरी तरफ गांव पंचायत में शराब बंद करने की बात करते हैं।
तर्क	अयोग्य व्यक्ति प्रधान बन जाता है तथा गांव में विकास की जितनी योजनाएं आती हैं वह गांव वालों के हक में कम से कम आती हैं।
आधार	गांव प्रभावित हो रहे हैं, विकास के कार्यो में बाधा उत्पन्न हो रही है।

शिक्षण संस्थाओं के दो नजरिए

नजरिया	कुछ शिक्षण संस्थानों में बहुत सख्ती से नियमों का पालन होता है। अर्थात् शराब पीने वालों और पिलाने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं तथा कुछ शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्था है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षार्थियों के ऊपर बुरा असर पडता है तथा शिक्षा कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है।
तर्क	शिक्षा लेने वाले के भविष्य पर बुरा असर पड़ता है। परिवार भी प्रभावित होते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता घटती है। समय की बर्बादी होती है।
आधार	शिक्षण संस्थाओं में नियमों का उल्लंघन और अव्यवस्था फैल रही है। भविष्य की नींव कमजोर हो रही है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है।

कामकाजी महिलाएं

नजरिया	कामकाजी महिलाओं के साथ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण, समय की बर्बादी इत्यादि होते हैं, इसलिए महिलाओं का शराब पीने वालों के प्रति नजरिया अच्छा नहीं होता।
तर्क	काम में रूकावट, मजदूरी कम मिलना, मानसिक तनाव जिससे परिवार में कलह उत्पन्न होती है।
आधार	अक्सर कामकाजी महिलाओं के साथ ये हादसे होते रहते हैं।

मीडिया (प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक)

नजरिया — मीडिया का भी दोहरा नजरिया है–

1. टी.वी., रेडियो, पत्र–पत्रिकाओं, विज्ञापनों, फिल्मों एवं प्रचार–प्रसार के माध्यमों के द्वारा शराब को बढ़ावा दिया जाता है।

2. दूसरा पहलू भी इन्हीं माध्यमों के द्वारा इसके बुरे परिणामों की सूचना।

तर्क — इन माध्यमों के द्वारा जनता की मानसिकता दिनों–दिन विकृत होती जा रही है एवं भावी पीढ़ी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है।

आधार — स्थानीय, क्षेत्रीय एवं व्यापक स्तर पर जगह–जगह सरकारी ठेके, भट्टियां एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं, जिससे कि आम लोग परेशान हैं।

सामाजिक संगठन

नजरिया — सामाजिक संगठनों को काम करने में कठिनाईयां होती हैं क्योंकि शराब के द्वारा अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं और कराए जाते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक कार्य करने में जगह–जगह पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह शराब को अच्छी नजर से नहीं देखते।

तर्क — आए दिन जगह–जगह दंगे होते रहते हैं लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं।

मजदूर

नजरिया — मजदूरों में दो तरह की प्रक्रियाएं शराब के प्रति होती हैं :

1. जो लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं, वे उस कमाई को रात को शराब में पी जाते हैं, जिससे परिवार परेशान रहते हैं।
2. जो लोग दिन भर या महिने भर काम करते हैं और ठेकेदार उनकी मजदूरी नहीं देते तथा शराब में उड़ा देते हैं या शराब पीकर मार–पीट करते हैं और उनकी मजदूरी नहीं देते।

तर्क — शराब के कारण मजदूर और भी निम्न स्थिति में आ रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगडती जा रही है।

आधार — आए दिन काम करने वाले मजदूर शराब के कारण मजदूरी नहीं कर पाते जिसके कारण उनके परिवार को कई–कई दिनों तक भूखे जूझना पड़ता है।

पुलिस प्रशासन

नजरिया — एक तरफ शराब बंद करने की बात करती है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन चोरी छिपे आपराधिक तत्वों से मिल कर व्यापार करवाते हैं जिससे कि शराब को बढावा मिलता है।

तर्क — जिन लोगों के पास परमिट नहीं होते वे लोग पुलिस से मिल कर शराब का व्यापार करते है। जिन क्षेत्रों में शराब की दुकानें या ठेके नही होते, वहां पर ये लोग शराब की सप्लाई करते हैं।

आधार — आजकल शराब के कारण आपराधिक तत्वों का बोलबाला है जिससे कि वे निश्चिंत होकर खुले आम घूम रहे हैं और जगह–जगह दंगा–फसाद कर रहे हैं।

आबकारी विभाग/राजस्व विभाग

नजरिया — इनका नजरिया यह है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो।

तर्क — अधिक से अधिक सरकार इसका प्रचार–प्रसार कर रही है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

आधार — आए दिन शराब का मूल्य बढ़ता जा रहा है और गांव–गांव में, शहरों में नई–नई किस्म की शराब बिक रही है।

मद्यनिषेध विभाग

नजरिया — इनके भी दो नजरिये हैं – 1- सरकारी विभाग 2- सामाजिक संगठन।

सरकारी विभाग

सरकारी विभाग दोहरी नीति से काम करता है। सरकार एक तरफ कहती है, शराब पीना हानिकारक है और उस पर रोक लगाती है; तो दूसरी तरफ अंग्रेजी शराब के ठेके व दुकानें खुलवाती है।

सामाजिक संगठन

	ये संगठन मद्यनिषेध के लिए दबाव डालते हैं साथ ही पीने–पिलाने, ठेके एवं दुकानों पर रोक लगाते हैं तथा प्रयासरत रहते हैं।
तर्क	सरकारी दोहरी नीति के कारण सामाजिक संगठन कुछ नहीं कर पाते, जिससे कि समाज में शराब का बोलबाला दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
आधार	गांव से लेकर शहरों तक सरकारी दुकानें, सरकारी ठेके बड़े पैमाने पर खुले हुए हैं।

बाजार

नजरिया	बाजार के नजरिए के भी दो पहलू हैं– 1. जो इसको पीते हैं, पिलाते हैं, बेचते हैं, 2. वे जो शराब नहीं पीते हैं, उनको इससे नुकसान होता है और दंगों की वजह से बाजार बंद रहता है।
तर्क	बाजार में वे लोग भी इसकी चपेट में आते हैं जो कि शराब को नहीं चाहते हैं।
आधार	शराब के कारण पूरे समाज का वातावरण खराब हो गया है/हो रहा है।

ठेकेदार एवं बिक्रेता/माफिया

नजरिया	इनका नजरिया ये है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके, गांवों एवं शहरों में।
तर्क	ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए।

क्रीडा विभाग

नजरिया	इसके भी दो पहलू हैं : 1. खेल, खेल के रूप में न रहकर व्यवसायिक रूप धारण कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अपना पैसा लगा रहे हैं जिससे विदेशों से काला धन मिलता है। 2. माफियों को बढ़ावा मिलता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि हालांकि सभी समूहों ने कार्य करीब–करीब ठीक–ठाक ढंग से पूरा किया है। लेकिन एक बात जो करीब–करीब सभी प्रस्तुतियों में महसूस की गयी कि सहभागी तर्क के आधार की जगह वे अपनी मंशा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सहभागियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद उनसे इस कार्य को दुबारा करने को कहा गया। इस कार्य के लिए शराबबंदी और महिला उत्पीड़न पर कार्य कर रहे उप–समूहों को मिला कर एक–एक समूह बनाया गया। इसके बाद सहभागी दुबारा अपने समूह में बैठे और काम को पूरा किया।

कार्य पूरा होने के बाद दोनों समूहों ने अपने कार्य को बड़े समूह में प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सवाल–जवाब भी हुए। समूह प्रस्तुतीकरण निम्न है :–

समूह - 1 मुद्दा शराबबन्दी

परिवार

नजरिया	शराब बन्दी के पक्ष में है।
तर्क	शिक्षा व बच्चों की पढ़ाई–लिखाई नहीं होती। स्वास्थ्य खराब होता है।
आधार	बढ़ती गरीबी, पिछड़ापन, शराब के कारण मृत्यु ज्यादा।

सामाजिक संगठन

नजरिया	शराब बन्दी का है।
तर्क	शराब पीने वालों से काम में बाधा आती हैं। खुले रूप से काम नहीं कर पाना।
आधार	पिछली घटनाओं के प्रमाण हैं।

पुलिस प्रशासन

नजरिया	शराब बन्दी के पक्ष में नहीं है।
तर्क	कानूनी अधिकार के हिसाब से विक्रेता के पास परमिट है।
आधार	जिन राज्यों में शराब बन्दी की गयी है, वहां अवैध शराब को बढ़ावा मिला।

आबकारी विभाग

नजरिया	शराब बन्दी नहीं चाहता है।
तर्क	आबकारी का कार्य शराब पर मोहर लगाना, वितरण, उत्पादन पर नियन्त्रण का है।
आधार	कानूनी प्रक्रिया से संचालित करना।

राजस्व विभाग

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	आय का दूसरा स्रोत।
आधार	आंकड़े के आधार पर बढ़ता राजस्व इसकी पुष्टि करता है।

मद्यनिषेध

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	इसका काम जानकारी देना व प्रचार–प्रसार करना है।
आधार	संसाधनों का अभाव।

मीडिया

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	आय का स्रोत, प्रचार–प्रसार ज्यादा होता है।
आधार	विज्ञापनों की बढ़ती संख्या, सामाजिक चिन्ताओं के प्रति तटस्थता।

ठेकेदार / माफिया

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	कमाई का साधन, आय का स्रोत।
आधार	फलता–फूलता व्यापार।

खेल उद्योग

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	खेल को प्रोत्साहन देना, आयोजक खेल के लिए बुलाते है।
आधार	खेल विभाग के पास पैसे कम हैं।

शिक्षण संस्थाएं

नजरिया	तटस्थ है।
तर्क	मेरा काम शिक्षा देना है।
आधार	इच्छा शक्ति का अभाव।

कामकाजी महिलाएं

नजरिया	पक्ष में है।
तर्क	असुरक्षा का भय रहता है।
आधार	आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण।

मजदूर –

नजरिया	जो पक्ष में हैं
तर्क	शराब से बीमारी होती है। जनजीवन प्रभावित होता है।
आधार	परिवार शांति तथा सुख से रहते हैं।

नजरिया	जो पक्ष में नहीं है
तर्क	थकान दूर होती है, ताकत बढ़ती है।
आधार	खुद का अनुभव तथा मित्रों से सुना है।

ग्राम पंचायत

नजरिया	पक्ष में नहीं है।
तर्क	राजनैतिक सांठ–गांठ।
आधार	पिछले जीते गये चुनाव का आधार शराब ही रही है।

समूह - 2

पक्ष	नजरिया	तर्क	आधार
परिवार	महिलाओं का अलग अस्तित्व अस्वीकार करना ·	घर की शोभा गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा	परम्परा, रीति–रिवाज शारीरिक रूप से कमजोर
धर्म	देवी और दासी का दर्जा	महिलाओं को पुरूषों की सेवा के लिए बनाया गया है	धर्म ग्रन्थ, धर्म गुरूओं के उपदेश
जाति	महिलाओं के प्रति जाति का निम्न नजरिया	औरत किसी भी जाति की हो, वह सिर्फ पुरूषों के लिए होती है, महिलाओं को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए	मनुवादी सोच
कानून	लचीला, पेचीदा, दोहरा कानून, पुरूष वर्चस्व को बनाये रखने की मौन स्वीकृति	धर्म एवं परंपरा के साथ छेड़–छाड़ नही की जा सकती	धर्म एवं परम्परा में हस्तक्षेप करने पर दंगा होता है
	समानता का दर्जा	समान मजदूरी, सम्पत्ति में समान अधिकार, समान मौलिक अधिकार	भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है
बाजार	औरत व्यवसाय को बढाने का अच्छा साधन है	महिलाएं बाजार को आकर्षक बनाती हैं कम जोखिम में अधिक लाभ होता है	ज्यादा व्यवसायिक लाभ होता है (आंकड़ों का हवाला)
मीडिया	महिलाओं का गलत इस्तेमाल रोकना	महिलाओं को वस्तु से व्यक्ति के रूप में देखना	नारीवादी फिल्में, नारी प्रधान साहित्य
	उपभोक्तावादी युग में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन व वस्तुकरण	बाजार को बढ़ावा मिलता है मनोरंजन होता है	अश्लील साहित्य एवं महिलाओं का उपभोग के रूप में इस्तेमाल करने वाली फिल्म से बिक्री एवं मुनाफा ज्यादा होता है
शासन	महिलाओं में शासन–प्रशासन संभालने की क्षमता नहीं होती	बुद्धिहीन होती हैं, क्षमता विहीन होती हैं	इतिहास को सामने रखकर बताया जाता है कि महिलाएं शासन चलाने में असमर्थ रहती हैं
पुलिस/सेना	महिलाओं के प्रति दमनात्मक प्रवृत्ति/ नजरिया	महिलाओं का पहनावा एवं श्रृंगार आदि पर दोषारोपण करना	संस्कार, समाज व्यवस्था एवं पूर्वाग्रह

अर्थव्यवस्था	आर्थिक रूप से पुरूषों के ऊपर निर्भरता कायम रखना	फिजूलखर्ची, नासमझी महिलाएं कम लाभ करती हैं	शारीरिक, आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं एवं अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं
राजनैतिक	महिलाओं को सत्ता से दूर रखा जाता है	महिलाओं में राजनैतिक समझ नहीं होती एवं नेतृत्व क्षमता का अभाव	इतिहास का हवाला संस्कार एवं पूर्वाग्रह
समाज	महिलाओं के प्रति शंकालू दृष्टिकोण	असुरक्षित वातावरण	पुरानी मान्यताओं का जिक्र, रूढिवादिता

प्रस्तुतीकरण पर स्पष्टीकरण और चर्चा के बाद सहभागियों को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अगला कार्य दिया गया। इस कार्य को भी तीन चरणों में पूरा किया जाना था–

चरण - 1 ***परिवेश के विभिन्न पक्षों का मुद्दे के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए ?***
चरण - 2 ***नजरिए का तर्क क्या होना चाहिए ?***
चरण - 3 ***तर्क का आधार क्या होना चाहिए ?***

इस कार्य के पूर्ववर्ती समूह को कायम रखा गया। समूह कार्य देर शाम तक चलता रहा। चूँकि काम पूरा नहीं हो पाया था और सहभागी थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए इस कार्य को अगले दिन प्रथम सत्र में पूरा करने को कहा गया।

छठा दिन 24-11-97

सभी सहभागी समय से हॉल में इकट्ठा हुए और अपने–अपने कार्य को पूरा किया। इस कार्य के दौरान जहां–कहीं भी जरूरत पड़ी, फेसिलिटेटर समूह के सदस्य सहभागियों की मदद कर रहे थे।

दोपहर के भोजन से पहले इस कार्य का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण में सभी सहभागियों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया! प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया दोनों समूहों के प्रस्तुतीकरण के दौरान चली। ऐसा लग रहा था कि सहभागियों को अभियान आयोजन का सूत्र पकड़ में आने लगा है। इस प्रस्तुतीकरण के दौरान जहां–कहीं भी आवश्यकता पड़ी, फेसिलिटेटर समूह ने समूह प्रस्तुतीकरण के विभिन्न वक्तव्यों का खुलाशा भी किया। प्रस्तुतीकरण निम्न है :

महिला उत्पीड़न

परिवार	बराबरी का दर्जा एवं औरतों के अस्तित्व को स्वीकार करना	महिला परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। वह औरत ही नहीं एक इंसान है	वैज्ञानिक {लड़का–लड़की होने का एक वैज्ञानिक आधार है}
धर्म	धार्मिक कुरीतियों को त्याग कर, धार्मिक कार्यो में सम्मानजनक भागीदारी। देवी एवं दासी के नजरिए से मुक्ति	नारी सिर्फ भोग्या नहीं है, अंध–विश्वासों, रूढ़ियों, कुसंस्कारों से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी तभी महिलाओं के व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा	जो महिलाएं इन कुरीतियों से मुक्त होकर आगे आई, सोचा–विचारा, विरोध दर्ज किया है, उन्होंने ही समाज को नई दिशा दी है
जाति	जातिवादी संकीर्णता से हट कर महिलाओं को बराबरी का दर्जा	जातिवादी संकीर्णता के खत्म होने से विकासात्मक कार्यो को बढ़ावा मिलेगा एवं प्रतिशीलता आएगी। कोई भी व्यक्ति मर्जी से जाति नहीं चुनता बल्कि जन्म के साथ जाति को थोपा जाता है	जाति नहीं बदली जा सकती है क्योंकि मौजूदा समाज व्यवस्था जातिगत ढांचे पर आधारित है

कानून	समानता का दर्जा	महिलाओं के संवेदनशील मुद्दों पर कानून को सकारात्मक रूप अपनाना चाहिए। कानूनों का सख्ती से पालन	भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है एवं कानून भी बना है
	महिलाओं के लिए समान कानून व्यवस्था	धार्मिक कुरीतियों एवं परंपराओं के खिलाफ महिलाओं के हित में कानून बने तो कोई बड़ा हंगामा नही खड़ा होता है	सती प्रथा के विरूद्ध बने कानून, बाल विवाह पर रोक आदि में कोई बडा हंगामा नही हुआ है
बाजार	बाजार में महिलाओं के व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक एवं वस्तु की गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए न कि महिलाओं के शरीर पर	बिना अश्लीलता के भी बाजार में अच्छे उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जा सकती है	साफ–सुथरे विज्ञापन, अश्लील विज्ञापनों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे होते हैं
मीडिया	नारी प्रधानता को बढ़ावा देना, संवेदन शील एवं सम्मानजनक नजरिया	मीडिया एक सशक्त माध्यम है, इसलिए ये महिलाओं के प्रति बनी गलत धारणा को साफ कर सम्मानजनक स्थिति बनाने में सक्षम है।	मीडिया ने जब–जब भी नारीवादी सोच को उभारा है, उसे स्वीकारा गया है एवं उसने व्यापक अर्थ एवं जनमत अर्जित किया है।
शासन/ प्रशासन	महिलाओं में शासन/प्रशासन चलाने की पूरी क्षमता होती है, स्वीकार करना।	अवसर मिलने पर महिलाओं ने प्रशासनिक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है	शासन/प्रशासन में कार्यरत महिलाएं इसके सशक्त उदाहरण हैं।
पुलिस/ सेना	महिलाओं को संपूर्ण संरक्षण एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशील	पुरूषों में आक्रामक यौन प्रवृत्ति एवं दमनात्मक सोच होती है।	छेड़–छाड़ की तमाम घटनाएं पुरूषों द्वारा होती हैं
अर्थव्यवस्था	महिलाओं के कार्यो का आर्थिक पक्ष देखा जाना।	महिला मितव्ययी एवं परिश्रमी होती हैं	महिला स्वयं सहायता समूह एवं महिला बचत बैंक आदि
राजनीति	सत्ता में समान भागीदारी	क्योंकि महिला समाज का अभिन्न अंग है, विश्व की आधी आबादी है महिलाओं में सत्ता संभालने की क्षमता होती है	इतिहास एवं वर्तमान में सफल राजनीतिज्ञ
समाज	महिलाओं के प्रति विश्वासी, सम्मान–जनक एवं संवेदनशील नजरिया	महिला वस्तु नहीं व्यक्ति है और समाज का अभिन्न अंग है, महिला भोग्या नहीं समाज में असुरक्षित वातारण पुरूष के द्वारा पैदा किया जाता है	जब–जब महिलाओं में विश्वास जगाया गया, वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम रही हैं

शराबबन्दी

पुलिस प्रशान

शराब बन्दी के पक्ष में होना चाहिए

शराब शांति व्यवस्था में बाधक है और पुलिस का काम है, शांति व्यवस्था बनायें रखना।

शराब बंदी का सख्ती से पालन अपराधों को कम करने में सहायक होगा।

आबकारी विभाग

अवैध शराब के विरोध में तथा वैध शराब के नियमन (Regulation) में सतर्क होना चाहिए।

अवैध शराब जहरीली होती है। वैध शराब की गुणवत्ता और यात्रा पर नियंत्रण आवश्यक है।

स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव

सरकारी खजाने का नुकसान शराब की मात्रा पर रोक लगा कर बाजार में इसकी उपलब्धता को कम कर सकता है।

राजस्व विभाग

पक्ष में हो सकता है बशर्ते आय का वैकल्पिक स्रोत सामने हो।

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय रिश्तों में पुर्नविचार और राज्यों को दी जाने वाली राशि के अनुपात को बढ़ाना।

बढे और नये आय स्रोत के उपलब्ध होने पर राज्य सरकार आबकारी विभाग को शराब की आपूर्ति कम करने के निर्देश दे सकती है।

मीडिया

बंद के पक्ष में हो सकता है।

जनमत निर्माण में उसकी अहम भूमिका है और अपने आय के लिए दूसरा स्रोत खोज सकता है।

शराब पर निर्भर न रहकर भी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सरकारी प्रकाशन तथा व्यवसायिक प्रकाशन जैसे सरिता, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि अच्छा व्यापार कर रहे हैं।

ठेकेदार/माफिया

जन दबाव व जन संघर्ष माफिया के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

भय बिन हांय न प्रीति।

आन्ध्र प्रदेश का अरक विरोधी आंदोलन। बोधगया का भूमि आंदोलन आदि।

खेल उद्योग / विभाग

शराब बंदी के पक्ष में होना पड़ेगा।

खेलों को पूंजीवादी शिकंजों से मुक्त किया जाय।

खेल प्रतियोगिता आयोजन के खर्चे को कम किया जाय।

संयुक्त प्रायोजक (छोटी राशि के साथ) तलाशे जायें।

खेल आयोजन एवं प्रायोजकों के चयन में खेल विभाग का नियंत्रण हो।

मद्यनिषेध विभाग

अपने नाम के अनुरूप मद्यनिषेध विभाग को शराबबंदी के पक्ष में होना चाहिए।

अधिकार सम्पन्न बनाया जाय।

अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर सके।

इस प्रस्तुतीकरण के समाप्त होने के बाद भोजन के लिए एक ब्रेक लिया गया। दोपहर के सत्र की शुरूआत कुछ एक

जोरदार गानों से हुई। इसके बाद सहभागियों को एक समूह कार्य दिया गया। इस कार्य के लिए यह तय किया गया कि शराबबंदी और महिला उत्पीड़न मुद्दे पर काम करने वाले दोनों समूहों को चार उप–समूहों में बांटा जाय। उप–समूह बन जाने के बाद सहभागियों को एक प्रश्न दिया गया। प्रश्न था–

''वर्तमान से अपेक्षित नजरिए तक पहुंचने के लिए विभिन्न तथ्यों, जानकारियों एवं विभिन्न पक्षों की सीखने-सिखाने की आवश्यकताओं की सूची बनाएं ?''

दोनों समूहों ने कार्य को पूरा करने के बाद उसे प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण निम्न है :–

शराब बन्दी समूह - 1

जानकारी एवं तथ्यों की सूची

पुलिस प्रशासन शराब से होने वाली मृत्यु, लड़ाई–झगड़े, मार–पीट की कितनी रिपोर्ट दर्ज हैं तथा कितनों पर कार्यवाही की गयी है।
कितने केस महिला के प्रति एवं कितने पुरूष के।
जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गयी है, वहां के पुलिस प्रशासन से आपराधिक आंकडे। आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन।
शराब से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु के आंकड़े (स्वास्थ्य विभाग से)।

आबकारी विभाग

वैध शराब की उत्पादन एवं उससे होने वाली आय का आंकड़ा।
कितना कोटा औषधि के लिए एवं कितना कोटा शराब के लिए निर्धारित है, उसका आंकडा।
अवैध शराब के ठेके पर छापा मार कर कितने प्रकरण दर्ज किये गये।

राजस्व विभाग

राज्य शासन को शराब से होने वाली आय की राशि (5 वर्ष की)।
राज्य सरकार को अन्य स्रोतों से आय का प्रतिशत (आंकडे 5 वर्ष के)।
केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान की राशि। पिछले पांच वर्ष में राज्यों को केंद्र से मिलने वाली रॉयल्टी।
जिन राज्यों में पूर्व से ही शराबबंदी है जैसे, गुजरात व वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा, उनकी अर्थ–व्यवस्था के तथ्यात्मक आंकडे। आय के लिए कौन सा स्रोत अपनाया।
राज्य सरकार व केंद्र सरकार के वित्तीय संबंधों का गहराई से अध्ययन।

मीडिया

राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार विज्ञापनों एवं प्रचार–प्रसार पर कितना व्यय करती हैं, आंकडे।
कितने प्रकार के मीडिया के माध्यम हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं।

ठेकेदार / माफिया

जहां–जहां शराब विरोधी एवं अन्य सामाजिक मुद्दों के सफल एवं असफल आंदोलन हुए हैं उनकी केस स्टडी, जानकारी।
आबकारी विभाग से रजिस्टर्ड ठेकों की सूची। नीलामी की जानकारी।

खेल उद्योग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय खेलकूद के लिए कितना बजट देता है (5 वर्ष का)।
खेल विभाग के खर्च का विवरण।
विभिन्न खेल प्रतियोगिता के आयोजन में आने वाले खर्चो का हिसाब, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के खर्चो का अध्ययन।

प्रायोजकों से होने वाली आय एवं खर्च का ब्यौरा।

मद्यनिषेध विभाग

इस विभाग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। (कहां, कब, क्या)।

उपसंहार उपरोक्त सारी जानकारी से अपनी समझ साफ होगी और तटस्थ समूह के नजरिए को बदलने के लिए जरूरी होगी।

समूह - 2

शराब बंदी अभियान के पूर्वाधार हेतु वांछित तथ्य और जानकारियां

- शराब बंदी से अपराध में गिरावट की पुष्टि करते आंकडे।
- शराब बंदी के कारण अवैध शराब के व्यापार में बढ़त की पुष्टि करते आंकड़े।
- बैध शराब के नियमन का ब्यौरा।
- आबकारी विभाग और शराब उत्पादक के बीच सम्बंध का ब्यौरा।
- वैध शराब के उत्पादन, वितरण और विक्रय की प्रक्रिया।
- परंपरागत शराब में औषधीय गुणों (तथाकथित) की छानबीन।
- अवैध शराब के निर्माण की पूरी प्रक्रिया।
- जानकारी, कि शराब स्वास्थ्य पर कैसे बुरा असर डालती है।
- राजस्व वसूली का ब्यौरा, विशेष कर शराब से।
- सरकारी खजाने में आय के वैकल्पिक स्रोतों (संभावित) की जानकारी।
- केंद्र–राज्य के बीच वित्तीय सम्बन्ध का आधार तथा उसकी विसंगतियां।
- शराब के व्यापारीकरण से पूर्व की अर्थव्यवस्था।
- सामाजिक उद्देश्य के लिए मीडिया ने कब–कब जनमत निर्माण की भूमिका अदा की तथा किन माध्यमों के जरिए।
- मीडिया के मौजूदा आर्थिक स्रोत – सभी माध्यमों के संदर्भ में।
- शराब का विज्ञापन न लेने वाले माध्यम (प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक) क्या शराब के खिलाफ भी प्रचार चलाता है और अगर नहीं तो कैसे उसे प्रेरित किया जा सकता है।
- विभिन्न शराब विरोधी आंदोलनों के बारे में विस्तृत जानकारी यानि आंदोलन कब, कैसे और कहां–कहां हुआ, किन लोगों के जरिए हुआ और अलग–अलग पड़ावों पर उसकी रणनीति क्या रही।
- उन आंदोलनों की अब क्या स्थिति है, क्यों और कैसे।
- खेल तथा खेलों को आयोजित करने वाली (उद्योग के रूप में) खेल संस्थाओं के बीच रिश्ता।
- उन स्वायत्त खेल संस्थाओं का गठन क्यों और कैसे हुआ।
- खेल उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी यानि खेलों का आयोजन कैसे प्रायोजित होता है, उसकी शुरूआत कब और कैसे हुई तथा उन आयोजनों से खेल विभाग का सम्बंध ।
- मद्यनिषेध विभाग के अधिकार और साधनों व कर्तव्य का ब्यौरा।
- मद्यनिषेध विभाग के बजट का ब्यौरा तथा उसका कार्य भार।

महिला उत्पीड़न

समूह - 1

परिवार वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी जैसे, लड़की–लड़का होने का कारण पुरूष होता है।
शारीरिक रूप से महिलाएं प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होती हैं। महिलाएं आज अंतरिक्ष जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी पहुंची हैं।

धर्म धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध सकारात्मक पहलुओं को सामने लाना।।
विभिन्न आंदोलनों की जानकारी का होना (सुधारवादी, महिला आंदोलन)।

जाति समाज व्यवस्था जातिगत ढांचे पर निर्भर है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी होना।

कानून	महिलाओं की जायदाद और अधिकार सम्बंधी जानकारी। महिला विरोधी कानूनों के विरूद्ध हुए आंदोलनों की जानकारी।
बाजार	साफ–सुथरे विज्ञापन अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर होते हैं जैसे : बी. पी. एल. का विज्ञापन; कैडबरीज चाकलेट अच्छे विज्ञापन के अच्छे प्रभाव।
मीडिया	नारीवादी फिल्मों की (उदाहरण जैसे मदर इण्डिया, दामिनी) जानकारी। नारीवादी साहित्य (जैसे नारीवादी सार्थक पत्रिकाएं)।
शासन/प्रशासन	शासन/प्रशासन में कार्यरत कुशल महिलाओं की जानकारी उदाहरण, किरण बेदी, आदि।
पुलिस /सेना	विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के तथ्यों की पहचान करना।
अर्थव्यवस्था	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जानकारी। महिला साख, महिला बचत समूह एवं महिला सहकारी समितियों की जानकारी।
राजनीति	सफल महिला राजनीतिज्ञों की जानकारी। सरोजनी नायडू, रजिया सुल्ताना, बेगम खालिदा जिया इत्यादि।
समाज	महिलाओं के कई आंदोलन (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के महिला आंदोलन एवं उत्तर प्रदेश महिला समाख्या)।

समूह - 2

परिवार	लड़का–लडकी होने की वैज्ञानिक जानकारी।
धर्म	महिला आंदोलनों की जानकारियां।
जाति	जाति व्यवस्था से संबंधित जानकारियां।
कानून	बराबरी का अधिकार, संबंधित कानूनी जानकारियां।
बाजार	बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञापन संबंधी जानकारियां।
मीडिया	मीडिया द्वारा नारीवादी सोच को उभारे गये तथ्यों की जानकारी।
शासन/प्रशासन	प्रशासनिक पदों पर पदस्थ महिलाओं एवं उनके कार्यों की जानकारी।
पुलिस/सेना	छेड़–छाड़ एवं महिला उत्पीड़न में पुरूषों का हाथ होने संबंधी जानकारियां।
अर्थव्यवस्था	बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं अर्थव्यवस्था तथा उद्योग संबंधी जानकारियां।
राजनीति	राजनीति में सफल महिलाओं की जानकारी।
समाज	महिलाओं द्वारा स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था किए गये कार्यो की जानकारी।

सातवां दिन 25-11-97

सातवें दिन के सत्र की शुरूआत पिछली शाम सहभागियों द्वारा इकट्ठी की गई जानकारियों एवं तथ्यों के अवलोकन से हुई। फेसिलिटेटर समूह ने हस्तक्षेप करते हुए सहभागियों के समक्ष यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इन जानकारियों व तथ्यों पर जितनी अधिक हमारी पकड़ होगी, अभियान आयोजन में हमें उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सारी जानकारी इकट्ठा करना किसी एक संस्था/व्यक्ति के लिए संभव है। जानकारी का स्वरूप एवं उपलब्ध मानव संसाधन इस प्रक्रिया को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि किसी एक व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा इसे पूरा कर पाना अक्सर संभव नहीं हो पाता। अतः इन जानकारियों/तथ्यों पर हमारी मोटे तौर पर पूरी पकड़ होनी चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं से इस संदर्भ में मदद ली जा सके। इसके लिए जरूरी यह है कि हम अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप में अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को बता सकें, ताकि कम से कम समय में हमें उपलब्ध जानकारी मिल सके। यहां से चर्चा इस बात पर चली कि कैसे ये जानकारियां हमारे कार्यवाही पक्ष को मजबूती प्रदान करती हैं।

ऊपर दिए गये बिंदुओं पर चर्चा पूरी होने के बाद जानकारियों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया चली। इस संबंध में फेसिलिटेटर समूह ने सहभागियो को बताया कि तमाम जानकारियों को मोटे रूप में दो श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता है। ये हैं, **मुद्दा केन्द्रित जानकारी** और **व्यापक मुद्दे से जुड़ी जानकारियां।**

यहां से चर्चा जानकारियों एवं तथ्यों के वर्गीकरण और उनके स्रोतों पर चली, जिसे निम्न रूप में समझा जा सकता है :–

क्र.सं.	जानकारी के प्रकार	जानकारी के स्रोत
1	स्थानीय समूह/समुदाय संबंधी जानकारी	बेस लाईन आंकड़े/सूचना पी.आर.ए. दस्तावेजीकरण
2	तथ्यात्मक आंकडे	जनगणना, एन.एस.एस., एस.आर.एस., जिला सांख्यिकी, पंचायत रजिस्टर, विभागीय आंकड़े, गजेटियर
3	गुणात्मक आंकड़े	अब तक प्रकाशित न्यूजलेटर, पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्ट, कहानी, कविताएं, उपन्यास, नाटक, फिल्में इत्यादि।
4	कानूनी जानकारियां	नियमावली – अदालतें नियमों को कैसे व्याख्यायित करती हैं।
5	वर्तमान घटना संबंधी जानकारियां	समाचार पत्र–पत्रिकाएं, पर्चे–पोस्टर, डाक्यूमेंटरी फिल्में, संबंधित दस्तावेज।

एक बार इस संबंध में चर्चा पूरी होने और स्पष्टीकरण का दौर समाप्त होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। सभी सहभागियों ने मौखिक रूप से कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण समाप्त हुआ।

दूसरा चरण

अभियान आयोजकों
का
प्रशिक्षण

एजूकेशन एण्ड एक्शन सेन्टर [illegible]

नई दिल्ली

पहला दिन 27-02-98

सहभागियों के औपचारिक स्वागत के बाद परिचय की प्रक्रिया शुरू हुई। चूंकि इस चरण में तीन नए सहभागी और कुछ नए संदर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया, इसलिए परिचय की प्रक्रिया को जरूरी समझा गया।

परिचय समाप्त होने के बाद सहभागियों से हुई चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि आगे की प्रक्रिया पहले चरण के दौरान जो कार्य सहभागियों को दिया गया था उसके प्रस्तुतीकरण से शुरू हो। यह तय पाया कि प्रत्येक जिले के सदस्य गण संकलित सूचनाओं को चार्ट पेपर पर लिख कर प्रस्तुत करें। इस कार्य के लिए 45 मिनट का समय दिया गया।

चार्ट पर सूचनाओं को लिखने के बाद प्रस्तुतीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। फेसिलिटेटर समूह ने भी अपनी ओर से इकट्ठी की गयी जानकारियों को बड़े समूह में प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण निम्न रूप में हुए :

शराब से संबंधित बनारस (उत्तर प्रदेश) जिले से प्राप्त आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग :

पहले तो सरकारी डाक्टर ने जानकारी देने से इंकार कर दिया। काफी प्रयास करने के बाद यह बताया गया कि एक वर्ष में 500 लोगों की मृत्यु हुई है। ज्यादातर लोगों की शराब पीने से मृत्यु होती है और अन्य बीमारियां भी देखने को मिलती हैं।

थाना :

थाने पर कोई भी कर्मचारी सूचना देने को तैयार नहीं हुआ। काफी प्रयास करने पर भी नहीं बताया। केवल इतना पता चला कि लगभग 50 लोग मरे हैं। ज्यादातर ड्राइवर लोगों की मृत्यु होती है।

आबकारी विभाग :

चुनाव की वजह से किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। कई बार जाने पर भी कोई आंकड़ा नहीं मिला। चुनाव का माहौल काफी गरम था। 52 बूथों पर तीसरी बार वोट पड़े हैं।

गॉंव स्तर :

25 गॉंवों में महुआ से देशी शराब बनायी जा रही है। जहां पिछड़ी जातियों की बड़ी बस्तियां हैं, वहां गांव के बीच में शराब का ठेका है।

ब्लाक स्तर :

सरकारी देशी शराब की कुल 60 रजिस्टर्ड दुकानें हैं।
बाजार में, चौराहे पर, मेन रोड पर शराब बिकती है।
ईट के भट्ठे के पास भी देशी शराब बनती और बिकती है।
दोनों ब्लाक में महिला उत्पीड़न से एक वर्ष में 42 औरतों की मृत्यु हुई है। मृत्यु के अनेक कारण हैं, जैसे आग से, दहेज से, फांसी लगाकर, जहर खाने से इत्यादि।

नैनीताल (उत्तर प्रदेश) जिले से प्राप्त आंकड़े

कुल पकड़े हुए केस – 189
लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें – 36
नैनीताल जिले से सरकार को प्राप्त राजस्व – 9 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष
नैनीताल जिले के कोटाबाग – रामनगर क्षेत्र में पकड़ी गयी अवैध शराब – 20368.98 लीटर
हल्द्वानी क्षेत्र में पकड़ी गयी अवैध शराब – 476.15 लींटर

मद्यनिषेध विभाग :

नशीले पदार्थ जैसे, बीड़ी, सिगरेट, चरस, शराब आदि के सेवन करने पर रोक लगाता है। गांव–गांव में जाकर फिल्में आदि दिखाकर इससे होने वाली हानियों के बारे में प्रचार–प्रसार करता है।

बिलासपुर (मध्य प्रदेश) से प्राप्त आंकड़े

महिला उत्पीड़न संबंधी आंकड़े :

क्र.	अपराध	वर्ष 1995	वर्ष 1996	वर्ष 1997
1.	बलात्कार	135	124	120
2.	अपहरण (महिला)	55	50	48
3.	टोनही (डायन के संदेह पर हत्या)	02		
4.	टोनही (डायन के संदेह पर प्रताड़ना)	11		
5.	जलने से महिलाओं की मृत्यु			30

6. जिले में लगभग 110 से अधिक घटनाएं दहेज के नाम पर जलाने की हैं।
7. जिले में प्रत्येक तीसरे या चौथे दिन बलात्कार की एक घटना होती है।
8. प्रत्येक सप्ताह अपहरण की एक घटना होती है।
9. अपहृत महिलाओं में एक–तिहाई नाबालिग होती हैं।

शराब संबंधी कुछ आंकड़े :

1. जिले को लगभग 16 करोड़ रूपये की आय प्रति वर्ष शराब की बिक्री से होती है।
2. जिले में 125 वैध (लायसेंस शुदा) शराब की दुकानें हैं।
3. जिले के प्रमुख शराब ठेकेदार
   (अ)– आमोलक सिंह भाटिया
   (ब)– पॉयनियर ग्रुप
4. जिले में लगभग 200 से अधिक स्थानों पर उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जाती है।
5. जिले के आदिवासियों को पांच लीटर तक शराब (महुए की) रखने की छूट है।

रतलाम (मध्य प्रदेश) से प्राप्त आंकड़े

महिला उत्पीड़न के आंकड़े – 97

बलात्कार – 94

अपहरण – 36

दहेज प्रताड़ना – 29

मातृत्व मृत्यु – पिछले वर्ष ग्राम भेसोला में 22 में से 12 की मृत्यु। ग्राम लसुड़िया में 3 की मृत्यु

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त आंकड़े

महिला उत्पीड़न के आंकड़े :

गांव स्तर पर हुए अपराध

	हमारी सूचना	पुलिस विभाग	स्वास्थ्य विभाग
बलात्कार	18	4	2
छेड़खानी	19	7	1
दहेज	9	8	
जलाना	2	1	1
आत्महत्या	2	1	1

ब्लाक स्तर पर हुए अपराध

	हमारी सूचना	पुलिस विभाग	स्वास्थ्य
बलात्कार	320	110	50
छेड़खानी	400	10	2
दहेज	255	200	120
जलाना	60	50	50
आत्महत्या	19	11	8

सीतापुर (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त आंकड़े

महिला उत्पीड़न :

संपर्क : पिसावॉं थाना

दहेज के कारण वर्ष 1996 में औरतों की मृत्यु – 2

दहेज के कारण वर्ष 1997 में औरतों की मृत्यु – 2

बलात्कार – वर्ष 1996 - 8

बलात्कार – वर्ष 1997 - 19

संपर्क : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिश्रिख

6 साल से 12 साल तक के बीमार बच्चों की संख्या (स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत में)

लड़की	लड़का
20%	80%

मिश्रिख क्षेत्र के अंतर्गत 2 वर्ष के बीच होने वाले महिला उत्पीड़न :

दहेज :	5 महिलाएं	उम्र 16 से 35 वर्ष
बलात्कार :	6 लड़की	उम्र 10 से 18 वर्ष
छुड़ौती :	उम्र 22 से 30 वर्ष	

गर्भपात से मृत्यु : 2 वर्ष के अंतर्गत 10 महिलाओं की मृत्यु गर्भपात के कारण हुई।

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त आंकड़े

गांव स्तर : 100 गांव के बीच में 50 अवैध भट्ठी

मद्यनिषेध : मेरा काम गांव–गांव जाकर यह प्रचार–प्रसार करना है कि शराब पीना हानिकारक है।

स्वास्थ्य विभाग : 100 में से 25 लोग लम्बी बीमारी से ग्रसित, जिनमें महिला–पुरूष दोनों।

जहरीली शराब : 50 प्रतिशत।

गांव स्तर : सामान्य वर्ग, मजदूर वर्ग 50 प्रतिशत। मरने वालों में मजदूर वर्ग 30 प्रतिशत।

रजिस्टर्ड मधुशाला केन्द्र – 10

सरदारनगर : में सरदारों की शराब की फैक्ट्री

विधायक : जितेन्द्र जायसवाल शराब के माफिया लीडर।

फेसिलिटेटर समूह से प्राप्त आंकड़े :

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश

राजस्व प्राप्ति का विवरण

मद	1994-95	1995-96
राज्य उत्पाद शुल्क	1104.83 करोड़ रूपये	1155.78 करोड़ रूपये
मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर	501.46 करोड़ रूपये	558.33 करोड़ रूपये
	1606.29 करोड़ रूपये	1714.11 करोड़ रूपये

* वर्ष 95-96 की तुलना में 97-98 में वार्षिक आबकारी नीलामी में लाइसेंस फीस के मद में 140 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई।
* शीरे के कुल उत्पाद का 65 प्रतिशत शराब के उत्पादन के लिए आरक्षित है।

मद्यनिषेध विभाग

* प्रत्येक जिले में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है लेकिन मात्र 30 जनपदों में ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बाकी 63 जनपदों में 150 रूपये मासिक पर एक अवैतनिक मद्यनिषेध प्रचारकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इन प्रचारकों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई।
* वर्तमान में 56 जनपदों में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियां गठित की गई हैं। मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्य के लिए अनुदान का प्रावधान है।

मैदानी जनपद रू. 1000 सालाना।
पर्वतीय जनपद रू. 2000 सालाना।

* मद्यनिषेध विभाग का प्रशासनिक खर्चे का व्यौरा : वर्ष 1995-96 रू. 64,54,000

प्रस्तुतीकरण के बाद जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया के अनुभवों को सहभागियों ने एक–दूसरे से बांटा। करीब–करीब सभी सहभागियों को जानकारी इकट्ठा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वे जानना चाहते थे कि अधिकारीगण सूचनाओं का आदान–प्रदान क्यों नहीं करना चाहते।

तमाम तरह के विचार सहभागियों के बीच से उभरे। जैसे अधिकारी/प्रशासन गलत सूचनाएं देता है। एक अधिकारी कुछ बताता है तो दूसरा उससे भिन्न बताता है। स्वयं उन्हें भय रहता है आदि। इस विषय पर और चर्चा की गुंजाइश थी। चूंकि सहभागी थके हुए थे, अतः यह फैसला लिया गया कि उन्हें चिंतन–मनन के लिए एकाध बिंदु देकर आज का सत्र समाप्त किया जाय। उन्हें **''सत्ता और जानकारी पर नियंत्रण के संबंध''** पर चिंतन–मनन करने को कहा गया। इसके साथ ही पहले दिन का सत्र समाप्त हुआ।

दूसरा दिन 28-02-98

दूसरे दिन का सत्र कुछ जोरदार गानों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद पिछली शाम को दिए गए बिंदु पर चर्चा चली। चर्चा के दौरान सहभागियों ने यह महसूस किया कि सत्ता और जानकारी पर नियंत्रण में सीधा संबंध है। अधिकारियों को यह लगता है कि अगर वे आम जनता को सूचना दे देंगे तो उनका जनता पर से प्रभुत्व/शिकंजा ढ़ीला पड़ जाएगा। कुछ सहभागियों का यह भी मानना था कि सत्ता पक्ष को और मजबूती प्रदान करने के लिए अधिकारी वर्ग सूचनाओं को बांटना नहीं चाहता है। कुछ–एक सहभागियों का मानना था कि जानकारी/सूचना पर नियंत्रण के बल पर ही आम जनता को प्रभावित एवं नियंत्रित किया जा सकता है।

इन सारी चर्चाओं के बाद फेसिलिटेटर ने विभिन्न उदाहरण देकर सहभागियों को यह समझने में मदद की कि कैसे पीढ़ी–दर–पीढ़ी ज्ञान और जानकारी पर नियंत्रण कर सत्ता पक्ष अपना प्रभुत्व बनाने में कामयाब रहा है। ज्ञान और जानकारी सत्ता का एक मुख्य स्रोत है और सत्ता पक्ष इसे किसी अन्य के बीच बांटना नहीं चाहता। इस विषय पर चर्चा समाप्त होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया गया।

ब्रेक के बाद चर्चा वापस अभियान आयोजन की ओर लौटी। ऐसा माना गया कि हर अभियान के दौरान कुछ कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं जिनके आयोजन पर दक्षता होना अत्यावश्यक है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सहभागियों को कार्यक्रम नियोजन विषय पर एक अभ्यास दिया गया। इस कार्य के लिए सहभागियों को दो समूह में बांटा गया। दोनों समूहों को अलग–अलग परिस्थिति दी गई। इस परिस्थिति के आधार पर उन्हें आगे का कार्यक्रम नियोजित करना था। इस कार्य के लिए सहभागियों को एक घंटे का समय दिया गया। दोनों परिस्थिति नीचे दी जा रही है :

परिस्थिति - 1

पिछले तीन–चार वर्षो से महिला समाख्या मेरठ जिले के चार ब्लाकों में महिलाओं को संगठित करने का प्रयास कर रही है। अपने काम को एक समुचित स्वरूप देने के लिए सहयोगिनियों का चुनाव उन्होंने गांव–गांव में किया है। सहयोगिनियों के माध्यम से महिलाओं के समूह तैयार कर तमाम शिक्षात्मक एवं संगठनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं पर हिंसा, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य, शराबबन्दी आदि के मुद्दे पर करीब–करीब सभी गांवों में कार्य चल रहा है।

पिछले साल भर से यह देखा जा रहा है कि प्रत्येक दो–तीन गांव के बीच कच्ची शराब के ठेके खुल रहे हैं। शाम होते–होते शराब के नशे में चूर गांव के नौजवान एवं बुजुर्ग सड़कों पर झूमते रहते हैं। घर–परिवार की महिलाएं भी इससे काफी दुःखी हैं। मार–पीट आदि की घटनाएं भी इस बीच काफी बढ़ी हैं।

महिला समाख्या की कार्यकर्ताओं ने दिन–प्रतिदिन बदतर होती स्थिति का समुचित जायजा लेने के लिए इस विषय पर प्रत्येक गांव में महिला समूह के साथ बैठक की। महिलाएं शराबियों की बढ़ती संख्या और मारपीट की घटनाओं से काफी भयभीत दिखीं। दो–चार बैठकों के बाद महिला समूहों ने यह फैसला किया कि वे शराब के ठेकेदारो पर दवाब डाल कर उन्हें गांव से बाहर खदेड़ेंगी। एक निश्चित कार्यक्रम के तहत प्रत्येक

गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर इन ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की। इस तरह का विरोध देख कर कई गांवों में तो ठेके खुद ब खुद बंद हो गये लेकिन कुछ अन्य गांवों में जबरदस्ती इन ठेकों को बंद करवाया गया।
ठेकों के बंद होने से गांव के शराबी और ठेकेदार काफी नाराज से रहने लगे। ठेकेदारों का धंधा काफी मंदा चल रहा था। उनका सारा गुस्सा महिला कार्यकर्ताओं पर था जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को ठेकेदारों के विरूद्ध एकजुट किया। इस घटना के बाद महिला समूह और कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने हेतु उन्हें डराने-धमकाने का काम भी किया गया।
एक दिन तो हद ही हो गई। शाम के वक्त जब दो सहयोगिनी बैठक समाप्त कर अपने गांव वापस जा रही थीं तो तीन-चार लोग जिसमें ठेकेदार भी शामिल था, ने इन सहयोगिनियों के साथ जोर-जबरदस्ती करने का प्रयास किया। किसी तरह से ये सहयोगिनी वहां से बच निकलीं। अगले दिन सुबह इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय थाने में की गई। थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इस घटना ने सहयोगिनियों को काफी निराश किया। महिला समाख्या की समस्त कार्यकर्ताओं और महिला समूह के नेतृत्व की एक बैठक ब्लाक स्तर पर की गई जिसमें यह फैसला किया गया कि अगले दिन थाने का घेराव किया जाय।

परिस्थिति - 2

महिला समाख्या एक लम्बे अरसे से जेंडरगत मुद्दे को केन्द्र में रख कर कार्य करती आयी है। अपने तौर पर महिला समाख्या ने अपने कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों में इस मुद्दे पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया है। पिछले कुछ महीनों से महिला समाख्या में इस बात पर विचार-विमर्श चल रहा है कि जेंडरगत मुद्दे पर कार्य कर रहे देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों, वकीलों एवं सामाजिक-कार्यकर्ताओं को बुला कर एक सम्मेलन आयोजित किया जाय जिससे कि उनके अनुभवों एवं विचारों से कार्यकर्ता एवं आम लोग लाभान्वित हो सकें। इसी सोच के तहत यह तय पाया कि 15-16 मार्च, 1998 को एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाय।

दोनों समूह लगभग एक घंटे तक अपनी-अपनी परिस्थितियों को लेकर कार्यक्रम नियोजन का कार्य करते रहे।

कार्य समाप्त होने के बाद दोनों समूहों ने अपने-अपने कार्य को बड़े समूह में प्रस्तुत किया।

समूह - 2
दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारी :
दिनांक

दूरभाष / पत्र (विशिष्ट व्यक्तियों) के लिए

* लोगों की संख्या / सूची
* स्थान
* अनुमानित बजट
* रसीद बुक
* पत्र की तैयारी
* टेन्ट
* माइक, जनरेटर
* जल संस्थान से जल की व्यवस्था
* कार्य का बंटवारा
* थाने पर सूचना
* पत्रकारों को सूचना
* बैनर, पोस्टर, पर्चे, तख्ती, नारे, गीत, बैज आदि की तैयारी।
* आम लोगों को माइक द्वारा सूचना
* फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर को आर्डर देना
* रिपोर्ट

COMMUNITY HEALTH CELL LIBRARY AND INFORMATION CENTRE
HTM-150
09828 N96

* भोजन व्यवस्था
* सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रकाशित सामग्री
* प्रदर्शनी / बुक स्टाल
* दीवाल लेखन (पूर्व)
* रैली का मार्ग तय करना।

समूह प्रस्तुतीकरण के बाद दूसरे समूह के सदस्यों ने समूह - 2 से कुछ स्पष्टीकरण मांगे। कुछ एक स्पष्टीकरण की मांग फेसिलिटेटर समूह द्वारा भी की गयी। इसके बाद चली चर्चा के दौरान कुछ–एक बिंदु जैसे रैली का उद्देश्य, रैली का फोकस, मांग पत्र आदि देना है या नहीं, सभा का आयोजन होगा या नहीं, आगामी योजना क्या रहेगी इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा के समाप्त होने के बाद समूह - 1 ने अपने कार्य को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है :

समूह - 1
थाने का घेराव :

महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध थानेदार द्वारा रपट (प्राथमिकी) दर्ज नहीं करने के विरोध में विभिन्न मांगो को लेकर थाने का अनिश्चितकालीन घेराव।

प्रभावी घेराव के लिए आवश्यक गतिविधियां :

कार्यो का विभाजन -

* प्रशासन को सूचित करना।
* गांव संघ की महिलाओं को एकत्रित करना
* रैली व सभा संचालन की जिम्मेदारी
* नारे लगाने की जिम्मेदारी
* भाषण की जिम्मेदारी
* तख्तियां, लाउडस्पीकर आदि की व्यवस्था
* 11 बजे तक महिला समाख्या ऑफिस में एकत्रित होना
* 11 बजे महिला समाख्या ऑफिस से नारेबाजी के साथ रैली की शक्ल में बी.डी.ओ. आफिस से होते हुए मुख्य सड़क से थाने तक रैली।
* थाने के मुख्य गेट के सामने घेराव
* नुक्कड़ सभा का आयोजन
* स्थानीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन

प्रस्तुतीकरण के बाद समूह -2 के सदस्यों ने भी इस समूह से स्पष्टीकरण की मांग की। इस दौरान प्रतिरोध का स्वरूप क्या होगा, व्यवस्था संबंधी, घेराव के असफल होने की स्थिति में अन्य विधियों के चयन, घेराव कितने दिन चलेगा आदि बिंदुओं पर चर्चा चली। प्रस्तुतीकरण के बाद दोनों समूहों में चली चर्चा का उद्देश्य सहभागियों की नियोजन की विभिन्न बारीकियों पर समझ बनाना था। फेसिलिटेटर समूह ने स्पष्ट किया कि हमें प्रत्येक कार्यवाही में विभिन्न विकल्पों का चुनाव करके चलना चाहिए ताकि किसी एक में कोई गड़बड़ी आने पर दूसरे का चुनाव किया जा सके। इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया कि कैसे अलग–अलग कार्यवाहियों का अलग स्वरूप और औचित्य होता है।

दोपहर के भोजन के बाद सहभागियों को चार समूहों में बांटा गया और "थाने का घेराव" वाली परिस्थिति को आगे बढ़ाते हुए एक और परिस्थिति दी गई, जो इस प्रकार है :

थाने पर चल रहे घेराव के दौरान भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस भयभीत हो रही थी। थानेदार ने तुरंत एक सिपाही को काम पर लगाया। सिपाही थाने के पीछे की दीवार लांघ पर बाहर निकला। बाहर जाकर सिपाही ने कुछ असामाजिक तत्वों से संपर्क किया और थाने के बाहर एकत्रित भीड़ को हिंसक बनाने की तरकीब सोची। इन गुण्डों ने भीड़ में घुस कर थाने पर पथराव करना शुरू किया। इतना काफी था। पुलिस ने तुरंत लाठी चार्ज कर दिया। इसमें दस महिलाएं और सात पुरूष बुरी तरह घायल हुए। इसी बीच बीस–पच्चीस लोगों को पकड़ कर थाने में धारा 147 के तहत बंद कर दिया गया।

उपरोक्त परिस्थिति के अनुसार सहभागियों को प्रेस विज्ञप्ति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने को कहा गया। इस कार्य के लिए भी एक घंटे का समय निर्धारित किया गया।

समूह -1

प्रेस नोट

महिला समाख्या के आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

(दस महिलाएं एवं सात पुरूषों की हालत गम्भीर)

महिला सहयोगिनियों के साथ शराब ठेकेदारों के गुण्डों द्वारा की गयी जोर–जबरदस्ती के विरोध में मेरठ थाने का घेराव कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में दस महिलाएं एवं सात पुरूष गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी हालत नाजुक बताई गई है।

महिला समाख्या द्वारा गठित महिला समूहों के द्वारा गांव में चलाये गये शराब विरोधी आंदोलन को मिली सफलता से नाराज एवं भयभीत शराब के ठेकेदारों के गुण्डों ने पिछले दिनों समतापुर गांव की सहयोगिनियों के साथ जोर–जबरदस्ती की थी। थानेदार द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के विरोध में एवं गुण्डा तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया। 25 कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस घटना की सभी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भर्त्सना की गई है। साथ ही थानेदार सहित सभी दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग एक ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गयी है।

प्रकाशनार्थ हस्ताक्षर

प्रति . . . .

. . . .

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

विषय : महिलाओं के प्रतिहिंसा व छेड़खानी और पुलिस प्रशासन का आक्रामक, हिंसात्मक व असंतोषजनक रवैया।

महोदया,

हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 'महिला समाख्या' महिलाओं को समानता तथा उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के मुद्दों पर काम कर रही है। पिछले कुछ समय से गांव में कच्ची शराब के ठेके खुल रहे हैं जिसके कारण परिवार बरवाद हो रहे हैं। घर–बाहर दोनों ही जगह महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। इस पर महिला समाख्या की कार्यकर्ताओं ने गांव–गांव जाकर स्थानीय माफिया व ठेकेदारों की कारगुजारियें से वाकिफ हुई और उनका जड़ से सफाया करने के लिए एकजुट होकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की।

दिनांक 25-02-98 को हमारी दो सहयोगिनियों के साथ ठेकेदारों ने छेड़खानी की। जब सहयोगिनियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गयीं, थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हमें मजबूरन थानेदार का घेराव करना पड़ा।

कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस स्थानीय माफियाओं की साठ–गांठ पर महिलाओं पर लाठीचार्ज व पथराव किया हमारे 30 साथियों को जबरन थाने में बंद कर दिया और 10 महिलाओं व 7 पुरूष बुरी तरह से घायल हुए।

हम आपसे उचित न्याय की अपेक्षा रखते हैं। हमारी मांग है –

1. स्थानीय थानेदार को तत्काल निलम्बित किया जाय
2. बेकसूर महिलाओं व पुरुषों को तत्काल रिहा किया जाय।
3. घायलों की उचित चिकित्सा कराई जाय। उनकी शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए बतौर मुआवजा निर्धारित धनराशि प्रदान की जाय।
4. स्थानीय ठेकेदारों व दलालों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही।
5. अवैध शराब के ठेके बंद कराए जायें।

प्रार्थिनी

(. . . . .)

समूह -2

प्रेस विज्ञप्ति

मेरठ थाने का घेराव कर रही महिलाओं पर लाठी चार्ज।

10 महिला व 7 पुरूष घायल।

मेरठ 26 फरवरी। मेरठ में पिछले दिनों शराब ठेकेदार व उनके आदमियों द्वारा महिला समाख्या की दो महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर पुलिस द्वारा रपट दर्ज न करने के विरोध में मेरठ थाने का घेराव कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें 10 महिलाएं व 7 पुरूष घायल हो गये। वहीं 20 लोगों को पुलिस ने धारा 147 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

महिला समाख्या, मेरठ की जिला समन्वयक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पिछले दिनों एक शराब ठेकेदार व उनके दो गुण्डों ने महिला समाख्या की दो महिलाओं के साथ छेड़खानी की। दूसरे दिन इन महिलाओं ने मेरठ थाने में रपट लिखानी चाही किन्तु थानेदार ने घुमा–फिरा कर रपट लिखने से इंकार कर दिया। इसके विरोध में कल बड़ी संख्या में महिला–पुरूष थाना पहुंच कर थानेदार से रपट दर्ज कर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस के एक सिपाही ने शराब ठेकेदार के गुण्डों द्वारा थाने पर पथराव करवाया।

इससे पुलिस को एक अच्छा बहाना मिल गया और पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग कर रहे महिला/पुरूषों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया जिससे 10 महिला व 7 पुरूष घायल हो गये। साथ ही पुलिस ने 20 लोगों के ऊपर धारा 147 का झूठा मुकदमा दायर कर गिरफ्तार कर लिया जिससे क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है।

महिलाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज कर उक्त घटना की न्यायायिक जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गयी है। साथ ही गिरफ्तार किये गये सभी लोगों की निःशर्त रिहाई की मांग की गयी।

महिला समाख्या की महिलाओं ने बैठक आयोजित कर संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर उग्र कदम उठाने की चेतावनी दी है।

प्रति,

संपादक,

. . . .

. . . .

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ।

विषय : मेरठ में पुलिस द्वारा की गयी लाठी चार्ज की न्यायिक जांच बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि –

1. यह कि मेरठ थाना क्षेत्र में दि० 22-02-98 को एक शराब ठेकेदार व उनके दो आदमियों ने महिला समाख्या के दो कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ की।
2. यह कि इन पीड़ित महिलाओं ने 23-02-98 को पुलिस थाना मेरठ में रपट दर्ज कराना चाहि किंतु थानेदार ने रपट लिखने से मना कर दिया।
3. यह कि पुलिस द्वारा रपट न लिखने के कारण महिलाओं में काफी असंतोष पैदा हुआ और इन महिलाओं ने एकजुट होकर बड़ी सुख्या में 24-02-98 को पुलिस थाना मेरठ में रपट लिखने हेतु थानेदार पर दबाव डाला।
4. यह कि इसी बीच पुलिस के सिपाही ने कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा थाने पर पथराव करवाया।
5. यह कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से रपट लिखने के लिए अनुरोध कर रही भीड़ पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिससे 10 महिला व 7 पुरूष घायल हो गये।
6. यह कि पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग कर रहे 20 लोगों को धारा 147 के अंतर्गत् गिरफ्तार कर लिया।

माननीय महोदय हम समस्त जन यह मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जावे तथा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावे।

महोदय हम यह भी मांग करते हैं कि मेरठ के थानेदार को अविलम्ब निलम्बित किया जावे। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों को निःशर्त रिहा किया जावे।

सधन्यवाद,

भवदीया
महिला समाख्या
मेरठ

दिनांक : . . . .

समूह -3

प्रेस रिलीज

मेरठ जिले के धारी ब्लाक के पटेला गांव में दिनांक 27 फरवरी, 1998 को महिला समाख्या की सहयोगिनियों के साथ शराब माफिया व ठेकेदारों द्वारा की गई छेड़खानी की थाने में रिपोर्ट न दर्ज करने पर महिलाओं द्वारा थाने का घेराव किया गया। उसी दौरान थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय असामाजिक तत्वों से संपर्क कर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर महिलाओं पर लाठी चार्ज व पथराव किया। जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गये और 30 महिलाओं को जबरन थाने में बंद कर दिया। इस घटना के सिलसिले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है जिसमें हमारी मांगें निम्नलिखित हैं :

* स्थानीय थानेदार को तत्काल निलम्बित किया जाय।
* बेकसूर महिलाओं व पुरूषों को तत्काल रिहा किया जाय।
* घायलों को उचित चिकित्सा मुहैया कराई जाय।
* घायलों की शारीरिक व आर्थिक क्षति पूर्ति हेतु बतौर मुआवजा निर्धारित धन राशि प्रदान की जाय।
* स्थानीय ठेकेदारों व दलालों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही, अवैध शराब के ठेके बन्द कराये जायें।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : म. स. / उत्तर प्रदेश / मेरठ — दिनांक : 28-02-98

विषय : ज्ञापन देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 25-02-98 को मेरठ जिले के बलियाखेड़ी ब्लाक, गांव हसनपुर से आते समय शाम 6 बजे गांव के बाहर गन्ने के खेत के पास शराब के ठेकेदारों एवं उनके गुण्डों ने रीना के साथ छेड़खानी की। किसी तरह रीना वहां से बच कर पास के थाने पर प्राथमिक सूचना देने गयी। वहां पर थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रीना ने गांव में जाकर सारी बातों को बताया। कुछ महिलाओं के साथ न्याय मांगने थाने पर दुबारा गई। इस बीच में पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठी चार्ज किया और जेल के अंदर बंद कर दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि तत्कालीन इस घटना की जांच कराने की कृपा करें।

विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है।

महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक दुर्व्यवहार

25 फरवरी, दिन बुद्धवार को मेरठ जिले के बलियाखेड़ी ब्लाक के हसनपुर गांव में हुई रीना के साथ छेड़खानी की घटना को पुलिसकर्मचारियों ने दबाते हुए गांव की औरतों के ऊपर थानाध्यक्ष के इशारे पर लाठी चार्ज किया। इस घटना में महिलाएं बुरी तरह घायल हुई और मौका पाते ही पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। अतः हमारी मांगे हैं कि –

1. स्थानीय थानेदार को तत्काल निलम्बित किया जाय।
2. पीड़ित महिलाओं की तत्काल रपट दर्ज की जाय।
3. ठेकेदार व उनके आदमियों की अविलम्ब गिरफ्तारी हो।
4. शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाय।
5. अवैध शराब की बिक्री पर रोक हेतु त्वरित कार्यवाही की जाय।

समूह -4

इस समूह ने सिर्फ ज्ञापन पर ही काम किया। समूह के सदस्य प्रेस विज्ञप्ति का काम पूरा नहीं कर पाये।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

प्रति,

मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय : महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं पर मेरठ पुलिस द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में ज्ञापन।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि पिछले चार वर्षों से अन्य जिलों की ही तरह महिला समाख्या मेरठ जिले में भी महिलाओं को संगठित करने का कार्य कर रही है। मेरठ में चार विकास खण्डों में यह कार्य सफलतापूर्वक जारी है। चयनित सहयोगिनियों की मदद से गांव–गांव में महिलाओं के समूह तैयार किये गये हैं इन दलों के माध्यम से महिलाओं के प्रति हिंसा न्यूनतम मजदूर, स्वास्थ्य, शराबबंदी आदि मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते इनके खिलाफ ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के साथ–साथ पुरूष भी एकजुट हुए हैं।

पिछले साल प्रत्येक दो–तीन गांव के बीच कच्ची शराब के ठेके खुलने से गांव के नौजवान एवं बुजुर्ग लोगों में शराब पीने का प्रचलन बढ़ा है। गांव में मारपीट की घटनाएं अब आम बात हो गई है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, भद्दे–भद्दे फिरके कसे जाना, छोड़छाड़ व जोर–जबरदस्ती की घटनाएं आये दिन होने से अब महिलाओं का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में महिला समाख्या ने गांव–गांव में संगठित महिला समूहों के साथ बातचीत की हालातों का सही जायजा लेने के बाद महिला समूहों ने फैसला कर एकजुटता के साथ शराब के ठेकों को बंद करने के लिए कदम उठाये। समूहों के इस कार्य में काफी मेहनत–मशक्कत के बाद अभूतपूर्व सफलता मिली। अधिकांश शराब के ठेके बंद हुए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शराब के ठेकेदारों ने महिला समूहों और कार्यकर्ताओं को डराने–धमकाने का काम किया है।

पिछली शाम तो उन्होंने हमारी दो सहयोगिनिया, जब बैठक के बाद अपने गावं समतापुर लौट रही थीं तो तीन–चार लोगों ने, जिनमें शराब ठेकेदार और उनके लोग शामिल थे, ने इन सहयोगिनियों के साथ जोर–जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब इस घटना की रिपोर्ट थाने लिखवाने गईं तो थानेदार ने न सिर्फ रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया बल्कि उल्टे उन्हें ही भला–बुरा कह सुनाया। हमने इस घटना के विषय में सभी प्रमुख अधिकारियों से गुहार की। जब न्याय मिलता न पाया गया तो हमने शांतिपूर्वक थाने का घेराव किया लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने हम लोगों के बीच घुस कर थाने पर पथराव कर दिया। हम लोग कुछ समझ पाते, इतने में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे अनुशासित कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठी चार्ज प्रारम्भ कर दिया।

पुलिस की इस दमनात्मक कार्यवाही के चलते हमारी दस महिला एवं सात पुरूष कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनकी हालत काफी नाजुक है। इतना ही नहीं हमारे 25 कार्यकर्ताओं, जिसमें 18 महिलाएं भी शामिल है, को भी जबरन शलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

हमें ज्ञात हुआ है कि इन गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तरह–तरह की यातनाएं भी लगातार दी जा रही हैं।

महिला समाख्या एवं हम सभी स्वयंसेवी संगठन इस ज्ञापन के जरिये आपसे मांग करते हैं कि –

1. थानेदार के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय।
2. मेरठ जिले के समतापुर गांव की दोनों सहयोगिनियों के साथ घटित मामले की रिपोर्ट तत्काल लिखी जाय।
3. दोनों सहयोगिनियों को न्याय दिलाया जाय तथा आरोपियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।
4. पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज में घायल कार्यकर्ताओं को तत्काल उचित मुआवजा दिलाया जाय।

5. गिरफ्तार किए गए हमारे कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाय।
6. लाठी चार्ज में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ वख्त कानूनी कार्यवाही की जाय।
7. हमारी अनुशासित कार्यवाही के दौरान जिन असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी की गई, उन्हें तत्काल चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाय।

दिनांक : 28-02-98

महिला समाख्या, मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

प्रस्तुतीकरण के बाद फेसिलिटेटर समूह ने तीनों प्रेस विज्ञप्तियों की ओर इशारा करते हुए एक रूपरेखा के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति बनाने की प्रक्रिया की ओर सहभागियों का ध्यान आकृष्ट किया। फेसिलिटेटर ने सहभागियों को बताया कि प्रेस विज्ञप्ति कभी भी एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। हमेशा घटना से जुड़े तमाम पक्षों की बात इसमें लिखी हो। साथ ही अपनी बात इस तरह से लिखी जाय कि वह दूसरे पक्ष की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली दिखे। घटना का शीर्षक भी इस तरह से लिखा जाय जिससे कि वह अख़बार वालों को आकर्षित कर सके।

इससे आगे बात बढ़ाते हुए फेसिलिटेटर ने सहभागियों को बताया कि अपनी और संबंधित दलों की प्रतिक्रिया देते समय अपनी प्रक्रिया तथ्यों पर आधारित हो। इस बिंदु को चालाकी से लिखने की आवश्यकता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ उदाहरण भी फेसिलिटेटर ने दिये।

एक अन्य फेसिलिटेटर ने सहभागियों को बताया कि अख़बार के लिए आज क्या घटा है और आगे क्या होने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रेस विज्ञप्ति ऐसी होनी चाहिए कि पहले पैराग्राफ को पढ़कर ही अख़बार के कार्यालय में बैठे हुए व्यक्ति की रूचि उस समाचार में जगे।

इसके अतिरिक्त घटना का स्थान/तिथि/समय आदि देने के बाद छोटे–छोटे वाक्यों में घटना का विवरण दें और जहां तक संभव हो अख़बार की भाषा इस्तेमाल की जाय। यह सारी जानकारी सहभागियों को इस उद्देश्य से दी गयी कि वे भविष्य में प्रेस विज्ञप्ति इस तरह से लिखें जिससे कि अख़बार के कार्यालय में बैठे व्यक्ति को उस समाचार में ज्यादा माथा–पच्ची करने की जरूरत न पड़े और बिना ज्यादा काट–पीट के खबर को छपने के लिए भेजा जा सके। इसके साथ ही फेसिलिटेटर ने सहभागियों को आगाह किया कि हम जैसे लोगों द्वारा भेजी गयी प्रेस विज्ञप्ति का कई बार न छप पाना, खबर के एकपक्षीय और लम्बी होने की वजह से होता है।

इसके बाद सहभागियों को प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस रिपोर्ट के अंतर को स्पष्ट किया गया और उनसे यह कहा गया कि हमारी विज्ञप्ति प्रेस रिपोर्ट की शक्ल में जारी की जाय। इससे खबर के छपने की संभावना ज्यादा रहती है।

प्रेस रिपोर्ट के स्वरूप और इस संदर्भ में ध्यान रखने वाली बातों को सिलसिलेवार ढ़ंग से निम्न रूप में रखा गयाः

प्रेस रिपोर्ट का स्वरूप

1. पहले पैराग्राफ में घटना का पूरा, पर अत्यंत संक्षिप्त विवरण दें जिसमें तिथि, स्थान तथा समय के अतिरिक्त घायल या मृत लोगों की संख्या भी बताई जाये।
2. घटना का सिलसिलेवार विवरण दें तथा प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी दें।
3. घटना की संक्षेप में पृष्ठभूमि बतायें।
4. घटना पर संबंधित दलों की प्रतिक्रियाएं दें।
5. संबंधित घटना पर उच्च–अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं दें।
6. घटना से संबंधित दलों का आगामी कार्यक्रम बताएं।

घटना की रिपोर्ट लिखने के लिए आवश्यक जानकारियां

1. घटना का स्थान।
2. घटना की तिथि तथा समय।
3. घटना का क्रमिक विवरण।
4. घटना की पृष्ठभूमि।
5. घटना का परिणाम।

6. घटना से संबंधित दलों का बयान।
7. घटना से संबंधित दलों का अगला कदम / मांग इत्यादि।
8. घटना पर साधारणजनों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान।

प्रेस विज्ञप्ति पर चर्चा समाप्त होने के बाद ज्ञापन पर चर्चा शुरू हुई। इसे भी फेसिलिटेटर ने एक रूपरेखा बनाते हुए निम्न रूप में सहभागियों के समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया :

सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम ज्ञापन जाना है, उसके पद को संबोधित करते हुए ज्ञापन की शुरूआत करें। जैसे :

मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ – 212 601

* उसके बाद एक या दो पंक्तियों में ज्ञापन का विषय लिखें।
* इसके बाद सम्बोधन जैसे माननीय महोदय/महोदया लिखें।
* घटना के परिणाम स्वरूप संबंधित लोगों या दलों का जो उत्पीड़न हुआ है उसका विस्तार से उल्लेख करें।
* घटना का सिलसिलेवार विवरण दें।
* अपनी मांगें क्रम से प्राथमिकता के अनुसार लिखें।
* जल्द कार्यवाही करने का निवेदन करें।
* नीचे अपना नाम तथा पद लिख कर हस्ताक्षर करें तथा संस्था का पूरा पता लिखें।
* ज्ञापन की प्रतिलिपियां कहां–कहां भेजी जा रही हैं इसका उल्लेख करें।

उदाहरण के लिए :
थाने के सामने घटी घटना पर भेजे गये ज्ञापन की प्रतिलिपियां निम्न अधिकारियों को भेजी जा सकती हैं।
– गृहमंत्री, उ० प्र० सरकार
– गृह सचिव, उ० प्र० सरकार
– पुलिस आयुक्त, उ० प्र० सरकार
– जिलाधिकारी
– पुलिस अधीक्षक
– प्रमुख स्थानीय तथा राष्ट्रीय समाचारपत्रों के संपादकों को

इस चर्चा के बाद दो–एक सवाल सहभागियों की ओर से उठे, जिसका स्पष्टीकरण फेसिलिटेटर ने दिया। इसके साथ ही दूसरे दिन का सत्र समाप्त हुआ।

तीसरा दिन 01-03-98

तीसरे दिन के सत्र की शुरूआत करते हुए फेसिलिटेटर ने अभियान आयोजन में गीतों के महत्व पर प्रकाश डाला और फिर यह सहमति बनी कि कुछ समय गीतों से सृजन में लगाया जाय। सहभागियों को चार समूहों में बांटा गया और फिर प्रत्येक समूह को पहले से बनाई पर्चियों में से दो पर्ची लेने को कहा गया। इन पर्चियों में एक–एक शीर्षक लिखा था। शीर्षक को आधार मान कर सहभागियों को कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो गानों को लिखने और उसकी धुन बनाने का काम दिया गया। इस कार्य के लिए उन्हें डेढ़ घंटे का समय दिया गया।

गीतों के तैयार होने के बाद चारों समूहों ने अपने गीतों को प्रस्तुत किया। (परिशिष्ट -1)।

इसके बाद गीत लिखने और उसकी धुन बनाने की प्रक्रिया से एक–दूसरे को अवगत कराया। किसी समूह ने कल के अभ्यास को आधार बना कर गीत लिखा था तो किसी ने शीर्षक/घटना या तंत्र को आधार बना कर गीत लिखा। एक ने घटना को ही क्रमवार गीत में ढ़ाला। एक अन्य समूह ने स्थानीय स्थिति का जायजा लेकर और अपने अनुभव को याद

कर गीत का रूप दिया। सभी समूहों ने लोक गीत या प्रचलित धुनों में इन गीतों को पिरोया था। इस चर्चा के समाप्त होने पर कुछ और गानों को लिखने और तैयार करने पर सहभागियों के बीच सहमति बनी। सहभागियों से कहा गया कि इस बार वे अपनी इच्छा से शीर्षक का चुनाव कर गीत लिखें और भोजन के बाद उसे प्रस्तुत करें।

भोजन के बाद भी सहभागियों ने करीब एक घंटे और काम किया और फिर उसके बाद नये गीतों को गाया। इस बार भी पांच नये गीत बने थे। (परिशिष्ट -1) । इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया गया।

ब्रेक के बाद चर्चा को नुक्कड़ नाटक की ओर मोड़ा गया। फेसिलिटेटर ने सहभागियों को नुक्कड़ नाटक और उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद नुक्कड़ नाटक कैसे विकसित किये जाते हैं, इस पर चर्चा निम्न रूपरेखा को ध्यान में रख कर की गयी।

नुक्कड़ नाटक

पहला कदम – विषय का चुनाव

↓

दूसरा कदम (विषय से संबंधित घटना का चयन)

↓

सबसे अधिक रोचक और नाटकीय घटना का कोई पक्ष का चयन

↓

नाटकीय घटना या उसके किसी पक्ष के संबंध में तमाम जानकारियों का संचय

↓

जानकारियां जहां समाप्त हो जाएं वहां से कल्पना का समावेश

↓

कल्पना ऐसी की जाए जो संभव हो

↓

कल्पना के विकास के लिए द्वन्द का सहयोग

↓

नुक्कड़ की कथावस्तु का गठन अर्थात प्रारंभ से अंत तक की रूपरेखा

↓

रूपरेखा के आधार पर नुक्कड़ नाटक लेखन प्रक्रिया

पहला कदम :

रूपरेखा का तीन भागों में विभाजन

नुक्कड़ नाटक लिखते समय या मंचन के समय यह ध्यान रहे कि :

- पहले भाग में ही समस्या का परिचय तथा पात्रों या घटनाओं के द्वन्द द्वारा कथानक को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाय।
- दूसरे भाग में कथानक का द्वन्द तेज हो जाना चाहिए और
- तीसरे भाग में द्वन्द और अधिक तीव्र होकर अंत या समाधान तक पहुंचना चाहिए।

नुक्कड़ नाटक कैसा हो?

1. आम आदमी को लगे कि यह समस्या या मुद्दा मुझसे भी जुड़ा है।
   अर्थात् ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला विषय हो।
2. दर्शकों को अंत तक रोके रखे।
3. केवल उपदेशात्मक न हो।
4. केवल नारेबाजी न हो।
5. संवाद छोटे, चुटीले हों।
6. हास्य–व्यंग्य का उचित समावेश हो

7. नाटक के बीच–बीच में यदि चाहें तो लोकप्रिय गीतों को भी शामिल कर सकते हैं।
8. स्थानीय परिवेश, बोली, भाषा को शामिल करने की कोशिश करें।
(जैसे मेरठ का नाटक बनारस में करते वक्त थानेदार पूरे समय पान खाकर पिच्–पिच् करते हुए बात कर सकता है।)
9. बहुत लम्बा कतई न हो।

इस चर्चा के बाद सहभागियों को स्क्रिप्ट की रूपरेखा तैयार करने का काम दिया गया। सहभागियों को दो समूहों में बांटा गया और उन्हें दिए गए शीर्षक के आधार पर स्क्रिप्ट विकसित करने को कहा गया। शाम पौने सात बजे दोनों समूह वापस हाल में आए। इस दौरान स्क्रिप्ट का सामूहिक वाचन हुआ। इसके पश्चात् फेसिलिटेटर ने स्क्रिप्ट लिखने के दौरान कल्पना के पक्ष पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे कल्पना स्क्रिप्ट को बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद दो फेसिलिटेटरों ने मिल कर एक नाटक के कुछ दृश्यों का मंचन करते हुए इस संबंध में उदाहरण देकर सहभागियों को उपरोक्त विषय पर और ज्यादा जानकारी दी।

एक बार इस विषय पर स्पष्टता आने पर सहभागियों को पूरी स्क्रिप्ट लिखने का काम दिया गया और यह कहा गया कि इसके मंचन की भी वे तैयारी करें। इसके साथ ही तीसरे दिन का सत्र समाप्त हुआ।

चौथा दिन 02-03-98

चौथे दिन के सत्र की शुरूआत करते हुए फेसिलिटेटर ने नुक्कड़ नाटक के मंचन से संबंधित बारीकियों को बताया। सहभागियों को संबोधित करते हुए फेसिलिटेटर ने बताया कि किसी भी नाटक की प्रस्तुति से पहले नाटक से संबंधित माहौल अवश्य तैयार किया जाना चाहिए। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए भी कुछ अलग तरह की गतिविधियां जैसे नारे लगाना, सामूहिक गीत आदि गाए जा सकते हैं। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि चूंकि नुक्कड़ नाटक में दर्शक हमारे चारों ओर होते हैं, इसलिए मंच फैला होना चाहिए और पात्रों के बीच संवाद होते समय उचित दूरी होनी चाहिए। साथ ही मंचन के समय अपने चारों ओर के दर्शक को ध्यान में रख कर एक्शन (Movement) होना चाहिए। यह भी बताया गया कि सारे मूल संवाद लिखे हों और पात्रों को अपने संवाद याद होने चाहिए। चूंकि नुक्कड़ नाटक में ध्वनि के विस्तार के लिए माइक आदि की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए पात्रों को चाहिए कि वे अपने संवाद ऊँची आवाज में दर्शकों तक पहुंचाएं।

इसके बाद सहभागियों से कहा गया कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर वे अपने स्क्रिप्ट और प्रस्तुति को निखारें। करीब डेढ़ बजे तक दोनों समूहों ने अपनी–अपनी तैयारी की। भोजन के बाद पौने तीन बजे दोनों नाटकों का प्रस्तुतीकरण हुआ। (परिशिष्ट -2) दोनों नाटकों की प्रस्तुति काफी अच्छी रही। प्रस्तुति के बाद फेसिलिटेटर ने सहभागियों को प्रस्तुति से संबंधित कुछ और जानकारी दी। इस दौरान उन्हें मंचन की तकनीक से परिचित कराया गया। जैसे दरवाजा कैसे बनाया जाय, कैसे दरवाजा खुले, कुर्सी कैसे बने आदि–आदि। इसके साथ ही उन्हें मंचन से संबंधित भाव–भंगिमाओं से भी अवगत कराया गया। इसके अलावा दर्शकों को रोके रखने और साथ ही अपने उद्देश्य प्राप्ति के दोहरे लक्ष्य से संबंधित विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा हुई।

इसके बाद सहभागियों के अनुरोध पर दुबारा नए समूह बनाए गये। दोनों से कहा गया कि इस बार वे खुद शीर्षक या विषय वस्तु चुनें और उसकी स्क्रिप्ट तैयार करें और साथ उसके मंचन की तैयारी करें । शाम सात बजे तक सहभागी इसकी तैयारी करते रहे। इसके बाद चौथे दिन का सत्र समाप्त हुआ।

पांचवां दिन 03-03-98

पांचवें दिन के सत्र की शुरूआत नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति से हुई। दोनों प्रस्तुति अद्भुत थीं। (परिशिष्ट -2)

सहभागियों ने काफी मन लगा कर काम किया था और यह भी लगा कि पिछले दो दिन चली चर्चा को सहभागियों ने भली–भॉति पकड़ा है। दोनों समूहों ने अपने अनुभव एक–दूसरे के साथ बांटे। चर्चा समाप्त होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया गया।

दोपहर बारह बजे जब सहभागी दुबारा बैठे तो फेसिलिटेटर ने अभियान आयोजन में पोस्टर और नारों की भूमिका पर बातचीत शुरू की। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि कैसे ये पोस्टर और नारों की तख्तियां जनता पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इस संबंध में एक मोटी समझ बनने पर फेसिलिटेटर ने पोस्टर बनाने की प्रक्रिया की ओर सहभागियों का ध्यान आकृष्ट किया। नुक्कड़ नाटिका लिखने की तकनीक की ओर सहभागियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए फेसिलिटेटर ने बताया कि पोस्टर बनाने की प्रक्रिया में भी कल्पनाशीलता (visualisation) का अपना एक खास महत्व है। इस प्रक्रिया में विषय का चुनाव इसका पहला चरण और फिर विषय के अनुरूप मुद्दे की पहचान इसका अगला चरण है। इस संबंध ने फेसिलिटेटर ने बताया कि मुद्दे की खासियत महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर जो चित्र दिमाग में उभरे उसे चित्रित किया जाय। इसके बेहतर ढंग से समझने के लिए दो–एक उदाहरण फेसिलिटेटर द्वारा दिए गए। इसके बाद सहभागियों को तीन–तीन के समूह में बांटा गया और उन्हें विषय वस्तु चुन कर पोस्टर बनाने को कहा गया। सारे समूहों ने अपने स्तर पर शीर्षकों का चयन कर पोस्टर बनाने का काम शुरू किया। भोजन के बाद करीब तीन बजे सारे सहभागियों को कुछ देर के लिए काम को रोकने को कहा गया और इसके बाद तीन–चार पोस्टरों को दीवार पर चिपकाया गया। तदोपरांत इस पर चर्चा शुरू की गई। सहभागियों को संबोधित करते हुए फेसिलिटेटर ने विभिन्न पोस्टरों की खूबियों और कमियों की ओर सहभागियों का ध्यान आकृष्ट किया और बताया कि किस तरह से मुद्दे/विषय का चुनाव किया जाय। कैसे मुद्दे की ख़ासियत को उभारा जाय। यह भी बताया गया कि प्रत्येक पोस्टर का आकार होता है और उपलब्ध आकार को ध्यान में रखते हुए चित्र और शब्दों का समावेश किया जाय। यह भी ध्यान में रखा जाय कि ज्यादा से ज्यादा जगह चित्रों के लिए दी जाय और उसी हिसाब से पोस्टर को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नारों का इस्तेमाल हो। इसके बाद पोस्टर बनाने की तकनीक पर चर्चा शुरू हुई। सहभागियों को संबोधित करते हुए और उनके सामने ही विभिन्न आड़ी–तिरछी रेखाओं के माध्यम से विभिन्न आकृतियां बनाने की प्रक्रिया चलाई गई।

चर्चा को समाप्त करते हुए फेसिलिटेटर ने कहा कि किसी भी पोस्टर की दो मुख्य जरूरतें होती हैं। एक तरफ तो प्रत्येक पोस्टर में चित्र और नारों का उचित समावेश हो लेकिन साथ ही साथ चित्रों और नारों की स्पष्टता (boldness) भी उतनी ही जरूरी है। इसके बाद सहभागियों से उपरोक्त चर्चा को आधार बनाते हुए व्यक्तिगत रूप से पोस्टर बनाने की प्रक्रिया को दुबारा शुरू करने को कहा गया। सहभागियों ने देर शाम तक पोस्टर बनाने का काम जारी रखा।

छठवां दिन 04-03-98

सुबह के सत्र में भी कुछ–एक सहभागी अपने काम को पूरा करते रहे। काम समाप्त होने के बाद सभी पोस्टरों को एक–एक करके दीवार पर चिपकाया गया। सहभागियों और फेसिलिटेटर ने इन पोस्टरों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जहां कहीं जरूरत पड़ी फेसिलिटेटर ने पोस्टरों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के गुर भी सहभागियों को बताये।

एक बार इस विषय पर चर्चा समाप्त होने के बाद सारे पोस्टरों को एक साथ दीवार पर चिपकाया गया। तदोपरांत कुछ देर नारे लिखने की तकनीक पर बातचीत चली और यह बताया गया कि कैसे कम से कम शब्दों का उपयोग कर और तुकबंदी को माध्यम बना कर प्रभावी नारे बनाए जा सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया गया।

ब्रेक के बाद एक समूह ने अपने नाटक का दुबारा मंचन किया और फिर दो–चार जोरदार गानों का दौर चला। इसके बाद कार्यशाला के अंतिम सत्र में पिछले 6 दिन चली कार्यशाला का मूल्यांकन किया गया। इस हेतु सहभागियों को मोटे रूप में तीन बिंदु दिए गए–

- यह चरण कैसा रहा?
- इसमें पिछले चरण (लखनऊ) का क्या योगदान रहा?
- आगे सीखने की क्या जरूरतें हैं?

मूल्यांकन के बाद औपचारिक रूप से कार्यशाला समाप्त हुई।

परिशिष्ट

गीत

जवाब दो

थाने पर घेराव का, औरतों पर अत्याचार का
बहनों के इस सवाल का जवाब दो।
थाने वालों जवाब दो ....।।

थाने में सुनवाई नहीं, औरतों का कोई मान नहीं,
रपट लिखाने से इन्कार, थाने का ये हाल है,
थाने वालों जवाब दो ....।।

शासन से सवाल है, मां–बहनों का बुरा हाल है,
जिसने तुनको पैदा किया, उन्हीं का ये सवाल है,
उनके इस सवाल का जवाब दो।
थाने वालों जवाब दो ....।।

हटा दो थानेदार को, मिटा दो ठेकेदार को,
भगा दो अत्याचार को, मिटा दो भ्रष्टाचार को,
तुम इन सारी बातों का जवाब दो।
थाने वालों जवाब दो ....।।

(बबीता वर्मा, ऊषा शुक्ला, अंजू रानी, चंपा, सुशीला)

घोटाला

आओ बहनों तुम्हें बताएं बातें इस घोटाले की,
जल्दी–जल्दी सुन लो बहनों बातें इस घोटाले की,
हाँ जी इस घोटाले की, हो जी इस घोटाले की .... ।

घोटाला जो करते हैं नहीं किसी से डरते हैं – २
गरीबों का पेट काट कर, अपनी तिजोरी भरते हैं ।
इधर–उधर करके वो अपनी बैंक विदेश की भरते हैं – २
हाँ जी वो भरते हैं, हो जी वो भरते हैं .... ।

सीधी–साधी बातें करके जनता को झाँसा देते हैं।
खून हमारा चूस–चूस कर नया घोटाला करते हैं – २
हां जी खून वो चूसते हैं, हो जी खून वो चूसते हैं ... ।

सुंदर–सुंदर सपने दिखा कर सबके मन को हरते हैं – २
सीधी–साधी जनता को वो लालच देकर ठगते हैं – २
हाँ जी वो ठगते हैं, हो जी वो ठगते हैं .... ।

आओ बहनों मिल–जुल कर हम अपनी बातें करते हैं – २
सोचो और विचारो फिर हम इनको बाहर करते हैं ।
हाँ इनको बाहर करते हैं, हो उनको बाहर करते हैं .... ।

(बबीता वर्मा, ऊषा शुक्ला, अंजू रानी, चंपा, सुशीला)

ठन - ठन गोपाल

सुनो शराब ने देखो कैसा हाल किया है।
पीने वालों को ठन–ठन गोपाल किया है।
रोजी–रोटी भेंट चढ़ गई, दारू पीने वालों की,
बीवी–बच्चे भूखे मरते दारू पीने वालों के।
शराब ने देखो सबको कंगाल किया है,
पीने वालो को ठन–ठन गोपाल किया है।
सुनो शराब ने देखो कैसा हाल किया है . . . . .
खेती–बाड़ी धन और दौलत गिरवी मोटे लाला पे,
खुद भी बंधुआ हो गये ठाकुरों के खलिहानों में।
शराब ने देखो सबको बेहाल किया है,
पीने वालों को ठन–ठन गोपाल किया है।।
सुनो शराब ने देखो कैसा हाल किया है . . . . . .

(दीपा, कुसुम नौटियाल, मीरा देवी, संजय सिंह)

गुण्डों के यार

ये गुण्डों के यार दरोगा जी दरोगा जी।
बनी है सरकार गुण्डों की दरोगा जी, दरोगा जी।।
गांव–गांव और गली–गली में हो रही लूटमार,
माँ–बहनों और निर्धन का है जीना भी दुश्वार।
जुल्म के पट्टेदार दरोगा जी दरोगा जी।।
बनी है सरकार गुण्डों की दरोगा जी, दरोगा जी।।
ये गुण्डों के यार दरोगा जी दरोगा जी।
इधर अफसरी उधर तस्करी करते हैं, हर रोज
इनको यारों कुछ भी कह लो बनते हैं सीनाज़ोर।
चोरों के सरदार दरोगा जी, दरोगा जी।
नेता लूटे जनता को ये नेता के चमचे।
जनता को ये झांसा देते गुण्डों से हैं चमके।
झूठ के ठेकेदार दरोगा जी, दरोगा जी।।

(दीपा, कुसुम नौटियाल, मीरा देवी, संजय सिंह)

फगुआ

काहे होला कानून दुइ रंगमा सखी, काहे होला कानून दुइ रंगमां।
अपने में मिल कानून बनाये, अपने ही भाषा का गाना गाएं।
नाही समझ कछु आवे सखी, हमें नाहीं समझ कछु आवे – २
ताला बनाकर कुंजी छिपाये, जनता मां ताला की बिक्री कराये
फंस गइल सबहू जमाना सखी हाय फंस गइल सबहू जमाना – २
आरक्षण का लालच दिलाये, खास जगह से हमको हटाये
औरत को कमजोर बनाये सखी, हाय औरत को कमजोर बनाये – २
एक–दो–तीन सब दरवाजे जाये, न्याय बटे जनता उमर गवाये
तबहूं न पावे किनारा सखी, हाय तबहूं न पावे किनारा – २
गांव से लेकर दिल्ली तक देखेन, सारा मुनाफा नेता कमाइन
हमका अंगूठा देखाइन सखी, हाय हमका अंगूठा देखाइन
सखो हाय . . . . ।।

(दुर्गावती, रजबुलनिशां, अनुपम, पुष्पलता, संतोष)

गाना (धुन : तुम तो ठहरे परदेसी . . .)

तुम तो ठहरे दल–बदलू न्याय क्या दिलाओगे।
आज बैठे कुर्सी पर, कल तो लुढ़क जाओगे।
जब तुम्हें कुर्सी की कभी याद आयेगी
वोटों की चिंता में तुम तो डूब जाओगे।
तुम तो ठहरे दल–बदलू . . . .
घूस ले–ले करके कुर्सी क्यों सम्भाले हो
चार दिन की ये सत्ता क्षण में भूल जाओगे।
तुम तो ठहरे दल–बदलू . . . .
देश को गुलामी से कब तुम बचाओगे।
अब तुम सुधर जाओ नहीं तो पीटे जाओगे।
तुम तो ठहरे दल–बदलू . . . .

(दुर्गावती, रजबुलनिशां, अनुपम, पुष्पलता, संतोष)

गाना

दरोगा बाबू चोर निकला
देखो खाकी वर्दी वाला घूसखोर निकला।।
खा–खा करके घूस जनता को खूब बेवकूफ बनाये,
महिला जाये रपट लिखाने उनको मार भगाये,
दलालों का साथी ये नमकखोर निकला।।
दारू इनकी नियत है भइया पैसा इनका धरम,
ये टोपी वालों को देखो नाहीं कोई शरम,
चोरों के भाई को देखो सीनाज़ोर निकला।।
जगह पर ये सब मिलकर अपनी धाक जमायें,
जनता का ये खून चूसकर अपनी सेहत बनायें,
न्याय की बात पर रिश्वत मांगे, हरामखोर निकला।।
मां–बहनों से जन्म लिया है उन्हीं को है धिक्कारा,
टोपी वालों ध्यान से सुनलो होगा ये न गवारा,
अन्यायों के ढ़ेरों में नम्बर वन निकला।।
दरोगा बाबू चोर निकला।

(दुर्गावती, रजबुलनिशां, अनुपम, पुष्पलता, संतोष)

गाना

लेंगे–लेंगे हम अपना अधिकार, चलेंगे अब मिल–जुल के,
होइहैं–होइहैं हमारा बेड़ा पार, चलेंगे जब मिल–जुल के।।
शिक्षा को हथियार बना के आगे कदम बढ़ायें,
हर जुल्मों की तोड दीवारें आगे हम बढ़ जायें,
मिलिहै–मिलिहै हमारा अधिकार, चलेंगे जब मिल जुल के।।
अब न कोई मायूस रोये, होये न कोई घोटाला,
किसी का बचपन रोटी खातिर हो न किसी का हवाला,
हटिहैं–हटिहैं यहां से भ्रष्टाचार, चलेंगे जब मिल–जुल के।।

(दुर्गावती, रजबुलनिशां, अनुपम, पुष्पलता, संतोष)

नेता बम, बम करै

तिरछी टोपी खादी का कुर्ता
आये हैं मांगै वोट
कि नेता बम – बम करे
तिरछी . . . . ।
इक इक से वो कहते फिरते
बनिहै तुम्हारा काम
कि नेता बम – बम करे
वादा करै और हाथ भी जोड़े
हाथ भी जोड़े और पैर भी छूले
रखियो हमारी लाज
कि नेता . . . . ।
बन गये नेता पा गये कुर्सी
भूल गये संसार
कि नेता . . . . ।
झूठी तसल्लो झूठा दिलासा
भूल गये वो अपना वादा
निकला रंगा सियार
कि नेता . . . . ।
बाजारों में ठेके खुलवाये
उससे अपना पैसा कमाये
बढ़ गया भ्रष्टाचार
कि नेता . . . . ।
दूसरे देसवा में खाता खुलवाये
बेटवा को अपने विलायत पढ़ाये
भाड़ में जाये अवाम
कि नेता . . . . ।
अधिकारों की बात करे जब
होता है लाठी चार्ज
कि नेता . . . . ।
आये दिन संसद मा देखा भइया
कूकर माफिक लड़े
कि नेता . . . . ।
अबकी बार तो बच के न जइहौ
हमहूं खड़े तैयार
कि नेता . . . . ।

(मन्नन, विभा, मंजू, सुशीला, अलका)

गाना

चुप–चुप रहना, घुट–घुट जीना ये बात हमें मंजूर नहीं
एक जुल्म करे, एक जुल्म सहे ये बात हमें मंजूर नहीं
जिस साज के सब सुर ढ़ीले हों वो साज हमें मंजूर नहीं
जिस राज में जुल्म का डेरा हो वो राज हमें मंजूर नही
भाई को लड़ाये भाई से वो धर्म हमें मंजूर नहीं
सम्मान न दे जो नारी को वो मान हमें मंजूर नहीं
मुजरिम ही जज, बन बैठा हो वो न्याय हमें मंजूर नहीं

(मन्नन, विभा, मंजू, सुशीला, अलका)

नाटक

शराबबन्दी

पात्र

नेता	शमसेर सिंह
थानेदार	लोहा सिंह
सहयोगिनी दो	1 कुसुम
	2 बबिता
ठेकेदार दो	1 पप्पू जायसवाल
	2 मंगल दादा
गुण्डे दो	1 कल्लू
	2 लल्लू
शराबी दो	1 रामू
	2 श्यामू
ग्रामीण महिलाएं	

ला ला ला . . . .

(सभी कलाकार गोल घेरे में उक्त लय एवं गीत को दो–तीन बार दोहराते हैं, फिर बैठ जाते हैं।)

(पहला दृश्य)

(शराबियों का प्रवेश दोनों झूमते हुए गाना गाते हैं।)

रामू — पीने वालों को पीने का . . . .

श्यामू — बहाना चाहिए

(दोनों लड़खड़ाते हुए एक–दूसरे को सलाम करते हुए अपने–अपने घर को जाते हैं)

श्यामू — अरी ओ राम प्यारी . . . .
दरवाजा खोल . . . .
(राम प्यारी खाना लाती है। श्यामू घर में उत्पात मचाता है। बेटी को भी मारता है एवं खाना भी फेंक देता है)

(दूसरा दृश्य)

रामू–श्यामू की पत्नियां निराश होकर गांव की महिलाओं के साथ बैठ कर आपस में चर्चा करती हैं। तभी दो सहयोगिनियां वहां आती हैं और उनकी चर्चा में शामिल हो जाती हैं। गांव की महिलाएं शराब से होने वाली परेशानियों के संबंध में उन्हें बताती हैं। सहयोगिनियां उन्हें साहस बंधाती हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाएं संगठित होकर गांव की दोनों शराब की भट्टियों को तोड़ने का निर्णय लेती हैं। अगले दिन एक जूलूस की शक्ल में सभी महिलाएं जाती हैं।

(तीसरा दृश्य)

(मंगल दादा का शराब का ठेका)

हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिन्गारी हैं।
शराब की भट्टियां बन्द करो, बन्द करो . . . . . .।

(सभी महिलाएं नारे लगाती हुई मंगल दादा के ठेके के पास पहुंचती हैं।)

मंगल दादा। (महिलाओं से) अरे–अरे तुम लोग यह क्या कर रही हो।
सहयोगिनी अपनी भट्टी बन्द करिए या तो उठा कर गांव के बाहर ले जाओ।
श्यामू तुमने क्या अपने बाबा की जागीर समझ रखी है।
सहयोगिनी तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। बहनो, सब मिल कर शराब की भट्टी तोड़ दो
मंगल दादा अरे–अरे . . . . मैं तुम सभी को देख लूँगा।

(महिलाएं एक नहीं सुनती हैं और मंगल दादा के शराब की भट्ठी पर तबाही मचा देती हैं। सब कुछ तहस–नहस कर जुलूस की शक्ल में नारे लगाती हुई पप्पू जायसवाल के अड्डे की ओर अपना रूख करती हैं। जुलूस को अपनी ओर आता देख पप्पू घबरा जाता है।)

(महिलाएं पप्पू जायसवाल से कहती हैं)

सहयोगिनी अपनी शराब की भट्टी यहां से हटा लो या बन्द कर दो।
पप्पू तुम क्या मनिस्टर हो; जो तुम्हारा हुकम मानूंगा।
सहयोगिनी तुम फालतू बकवास मत करो।
पप्पू फालतू बकवास मैं कर रहा हूं कि तुम?
महिला शराब के कारण हमारा जीना हराम हो गया है। हमारे पति शराब पीकर घर आते हैं और हमें तथा हमारे बच्चों को पीटते हैं। हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं।
पप्पू तो तुम अपने पतियों को घर में सम्भाल कर रखो। मेरी भट्टी बंद करवाने की जरूरत नहीं है।

(महिलाएं नहीं मानती और भट्ठी तोड़ डालती हैं)

पप्पू जायसवाल और मंगल दादा दोनों एक स्थान पर बैठे हैं। दोनों के हाथ–पैर व सर पर चोट के निशान हैं व मरहम–पट्टी लगी हुई है।

मंगल दादा। यार पप्पू सब कुछ बरबाद कर डाला इन औरतों ने।
पप्पू कहीं का नहीं रख छोड़ा इन औरतों ने। यह सब कुछ उन सहयोगिनियों की वजह से हुआ।

(मंगल और पप्पू आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। इतने में वहां रामू और श्यामू भी पहुंच जाते हैं।)

रामू पाय लागी पप्पू उस्ताद।
श्यामू सुना है गांव की महिलाओं ने कुछ गड़बड़ किया है।
पप्पू अरे गड़बड़ क्या, सब कुछ बर्बाद कर डाला है। कुछ भी नहीं छोड़ा है।
मंगल गांव की औरतों को भड़काने का काम तो सहयोगिनियों ने किया है। उन्हीं की वजह से यह सब कुछ हुआ है। उन्हीं का यह सब किया–धरा है।

श्यामू — उन सहयोगिनियों की यह मजाल।

रामू — उस्ताद हुक्म तो दो, उन दोनों औरतों को वो मजा चखाएंगे कि सारी नेतागीरी धरी की धरी रह जाएगी।

पप्पू — सुनो काम ऐसा करना कि सांप भी मर जाये और लाठी भी ना टूटे।

श्यामू — देखते जाओ उस्ताद उनकी वो गत बनाते हैं कि न घर की रहेंगी न घाट की।

(चारों महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कानाफूसी होती है और चारों ठहाका लगा कर जोर की हंसी हंसते हैं)

(अगले दिन)

(दोनों गुण्डे नशे में चूर होकर बतियाते हैं कि–)

रामू — वो दोनों फुलझड़ियां इसी रास्ते से आती हैं ना श्यामू।

श्यामू — हां, यार इसी रास्ते से आती हैं।

रामू — दोनों ने शराब के खिलाफ जो चिनगारियां गांव की महिलाओं के दिलों में भरी हैं आज उसी आग में दोनों को जला डालेंगे।

श्यामू — ओ ऽ ऽ ऽ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।

रामू — ओ ऽ ऽ ऽ काले कुरते वाली तेरा नाम तो बता।

सहयोगिनी 1 — बत्तमिज . . . . महिलाओं को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती।

सहयोगिनी 2 — क्या तुम्हारे घर में मां–बहिन नहीं हैं क्या?

श्यामू — अरी मां–बहिन तो हैं पर बस . . . .

(इतने में रामू एक सहयोगिनी का हाथ पकड़ लेता है)

रामू — बड़ी नेता बनी फिरती हो। शराब की भट्ठियां तुड़वा दी तुम दोनों ने और हमसे जबान लड़ा रही हो।

श्यामू — (दूसरी सहयोगिनी का हाथ पकड़ कर) चिड़िया आज फंसी हैं चंगुल में। अब बच कर कहां जाओगी रानी।

(दोनों गुण्डे, दोनों सहयोगिनियों के साथ जोर–जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों सहयोगिनियां जैसे–तैसे दोनों गुण्डों की आंखों में मिट्टी झोंक कर अपनी इज्जत बचा कर वहां से भाग निकलती हैं।)

रामू — अरे ! आंख में धूल डाल गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

श्यामू — आज तो बच गई, अबकी बार हाथ आई तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे।

(दोनों गुण्डे आंखें साफ करते हुए पप्पू/मंगल के पास पहुंचते हैं।)

पप्पू — क्यों, हो गया काम तमाम उन सहयोगिनियों का?

मंगल — अब पता चलेगा, उन्हें हम लोगों से पंगा लेना कितना मंहगा पड़ता है।

रामू — उस्ताद ऐसा कुछ नहीं हुआ।

पप्पू — क्या बकते हो रामू।

श्यामू — हां, उस्ताद रामू ठीक ही कह रहा है वे दोनों चिड़ियां हाथ तो आ गई थीं लेकिन हमारी आंखों में धूल डाल कर फुर्र हो गई।

मंगल — यह तो गड़बड़ हो गई।

पप्पू — (दोनों गुण्डों से) तुम दोनों तुरन्त थाने पहुंचो। वर्ना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उन दोनों सहयोगिनियों के थाने पहुंचने के पहले तुम लोग थानेदार को मिलो। बाकी सब कुछ में देख लूंगा।

(पप्पू जायसवाल उन्हें नोटों की गड्डियां एवं शराब थानेदार को पहुंचाने की सलाह देकर रवाना करता है।)

(थाने के गेट पर)

सिपाही — क्या काम है, कैसे आए हो इधर।

श्यामू — वो थानेदार साहब से मिलना है। पप्पू उस्ताद ने भेजा है।

सिपाही — थानेदार साहब तो हैं नहीं। बोलो क्या काम है?

रामू — गांव में शराब की भट्टियां तुड़वाई हैं उसी के बारे में हमने सहयोगिनियों को शराफत से समझाया तो बस . . . .।

सिपाही — बाकी मैं समझ गया हूं। साहब को बतला दूंगा। माल–वाल नहीं लाए हो क्या?

श्यामू — ये रूपये और शराब। उस्ताद ने साहब के लिए दी है।

सिपाही — ठीक है, अब तुम जाओ मैं सब देख लूंगा।

(इतने में दोनों सहयोगिनियां थाने पर पहुंचती हैं। सिपाही उन्हें भी थाने के गेट पर ही रोक लेता है)

सहयोगिनी 1 — हमें थानेदार साहब से मिलना है। शराब के ठेकेदार व गुण्डे के खिलाफ हमें रपट लिखवानी है।

(सहयोगिनी की नजर इतने में उन गुण्डों पर पड़ जाती है)

सहयोगिनी 2 — इन्हीं गुण्डों ने हमारे साथ जोर–जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए।

सिपाही — क्या बकती हो। इन शरीफ लोगों के खिलाफ ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। चलो भागो यहां से। (सिपाही दोनों को बेइज्जत कर वहां से भगा देता है) वे जाते–जाते नेता के पास जाने की धौंस दे जाती हैं।

(फोन पर थानेदार नेताजी से चर्चा करता है। नेता मुंह में पान चबाता हुआ व बात–बात में पीक की पिचकारियां उड़ाता हुआ थानेदार को आश्वासन देता है कि घबड़ाने की कोनहुं चिन्ता नाहीं है। हम हूं ना। हम सब देख लूंगा। हम इसी दिन के लिए ही तो नेता बने हैं। इही तो जनता की सच्ची सेवा है ना।)

पप्पू — मंगल व दोनों गुण्डे नेता के पास पहुंचते हैं व सहयोगिनियों व गांव की महिलाओं की कार–गुजारी की बात बताते हैं। नेता के सेक्रेटरी को भी माल पकड़ा देते हैं। नेता उन्हें भी आश्वासन देकर भट्टी फिर से चलाने को कहता है। सहयोगिनियां नेता के पास पहुंचती हैं व उन्हें अपनी राम कहानी सुनाती हैं। नेता उन्हें आदर्श भाषण झाड़ देता है। नेता के यहां गुण्डों/ठेकेदार को देख वे सही स्थिति भांप जाती हैं और नेताजी से झूठा आश्वासन पाकर लौट जाती हैं।

(अगले दिन)

(गांव में महिलाओं की एक बड़ी बैठक होती है व बताती हैं कि हमने संघर्ष के दम पर जो सफलता पाई है, उसे हमें और आगे बढ़ाना है। सहयोगिनियां पुलिस/नेता/ठेकेदार/गुण्डों की मिली–भगत से सभी को अवगत करवाती हैं। शराब की भट्टियां फिर से प्रारम्भ होने की बात बताती हैं। संघर्ष को और तेज करने की बात तय होती है। अधिक से अधिक गांवों में शराब के विरूद्ध महिलाओं को संगठित करने के प्रयास तेज करने पर सभी सहमत होती हैं। गांव–गांव में संगठन बनाने का काम प्रारम्भ हो जाता है।

गीत

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के . . . .

(कारवां बढ़ता जाता है, महिलाओं के साथ–साथ पुरूष भी लामबन्द होते जाते हैं)

(दुर्गावती, अंजू, दीपा, रजबुलनिशां, चम्पा, विभा, अनुपम, ऊषा, संजय)

बाल विवाह

पात्र

पिता	धनीराम
अम्मा	दुलारी की मां
बेटी	दुलारी
सहेली	श्यामा
सहेली के पिता	बापू
दरोगा	पुलिस
पंडित	शादी कराने वाला

सूत्रधार सज्जनो, अब जरा शांत हो जाइये, देर से आने वालों को बेठाइये, माता–बहनों से अपनी यही आरजू, रोते बच्चों को थोड़ा सा चुप कराइए . . . .।

(दो लड़कियां खेलती हुई) गाती हुई।

मां दुलारी अरी ओ दुलारी, कहां मर गई, कब से बुला रही हूं, सुनती ही नहीं।

. . . . दुलारी ओ दुलारी।

दुलारी क्या है अम्मा, खेलने दो।

मां और घर का ढ़ेर सारा काम कौन करेगा, तेरा बाप? चलो – झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, बकरी चराने जाना है। चल घर चल। उधर से बकरी ले जाना और लकड़ियां भी लेते आना।

(दूसरा दृश्य)

मां (घर का काम कर रही है और बड़बड़ा रही है।)

दुलारी का बापू, दो दिन हो गये हैं अभी तक आया नहीं। पता नहीं क्या हुआ?

धनीराम ओ दुलारी की अम्मा !

मां आ गये आप । बहुत देर लगा दिये, कुछ बात–बात बनी।

धनीराम हो . . . . . बात तो बन गई है। पहले हाथ–मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी तो दो फिर शांति से बताता हूं।

(मां खाना लगाती है)

मां कहां बात हुई है। दुलारी की विवाह के लिए।

धनीराम मेरठ में हुई है।

मां लड़का कुछ पढ़ा–लिखा है क्या। क्या करता है?

धनीराम अरे पढ़ाई–लिखाई का क्या, घर में खेती है, पैसा वाला है, सब कुछ तो है। मैं तो बात पक्की कर आया हूं। तुम घर सम्भालो।

मां दान–दहेज की बात हुई। क्या हम दे पाएंगे?

धनीराम अरे इसकी चिंता तुम क्यों करती हो, ये हमारा काम है। वही थोड़ा–बहुत पड़ेगा, जो सब करते हैं।

दुलारी अरे मां– बापू क्या कह रहे थे।

मां वही तुम्हारी शादी पक्की कर आए हैं। तुम्हारी शादी तो करनी ही पड़ेगी।

दुलारी शादी ! नहीं मां मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अभी तो मैं पढूंगी।

मां अरे तुम्हारे पिता जो बात तय कर आए हैं, उसकी बात को कौन टाल सकता है।

दुलारी मेरी सहेली तो अभी पढ़ रही है, उसके पिता तो अभी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं।

मां उसकी बात छोड़ो। तुम्हारी शादी तो होनी है।

दुलारी नहीं मां मैं तो पढूंगी। शादी नहीं करूँगी।

मां क्या शादी नहीं करोगी। तुम्हारे पिता ने सुन लिया तो तुम्हारी जान ले लेंगे।

दुलारी लेना है तो ले ले मेरी जान, मैं शादी नहीं करूँगी।

(इतने में पिता खाना छोड़ दुलारी के हाथ से पुस्तक छुड़ा कर फेंक देता है।)

धनीराम — क्या तुम शादी नहीं करोगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। क्या समाज में मेरी नाक कटवाओगी। (दुलारी सिसकती हुई बैठ जाती है। इसी समय सहेली का प्रवेश होता है)

पिता — (सहेली को घूरता हुआ) इसी लड़की ने तो इसे बर्बाद कर दिया है।

सहेली — दुलारी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हो गया है?

दुलारी — बहना, बापू ने मेरी शादी तय कर दी है और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी है। अब मैं क्या करूं, तुम ही मुझे कुछ उपाय बताओ?

सहेली — चल बाहर चलते हैं और कोई न कोई उपाय निकालते हैं।

दुलारी — मेरी जिन्दगी तबाह हो जायेगी मुझे अभी और पढ़ना है। मुझे इस संकट से बचा ले।

सहेली — ठीक है तुम चिन्ता मत करो, मैं बापू से कह कर कुछ न कुछ उपाय निकालती हूं।

(दृश्य तीन)

सहेली — (दौड़ती हुई, किंतु निराश होकर अपने पिता के पास जाती है) बापू–बापू।

पिताजी — क्या है बेटी। आज तुम बड़ी परेशान लग रही हो।

सहेली — हो पिताजी। तुम तो जानते हो कि मेरी एक ही सहेली है; दुलारी।

पिताजी — हां, क्या हुआ उसे?

सहेली — दुलारी के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। उसकी पढ़ाई बंद करा दी है। बेचारी दुलारी रो रही थी। पापा, तुम्हीं कुछ करो न।

पिताजी — ऐसी बात है ! तुम चिंता मत करो, मैं हूं न। देखता हूं धनीराम को। ठीक है। (मैं थाने जा रहा हूं।)

(दृश्य चार)

(पंडित मंत्र पढ़ रहा है उसी वक्त थानेदार वहां पहुंच जाता है) औरतें गीत गा रही हैं। दुल्हा का साथी लड़कियों को चिढ़ाने वाली बात करता रहता है।

थानेदार — ये शादी बंद करो। लड़की का पिता कौन है। मालूम नहीं कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है।

धनीराम — मेरी लड़की बालिग है। मेरी लड़की है, मैं जानता हूं।

थानेदार — ये बकवास बंद करो। कानून बन गया है जब तक लड़की–लड़का बालिग नहीं हैं, शादी करना अपराध है। इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। लड़का का पिता कौन है?

लड़का का पिता — मैं हूं साहब।

थानेदार — अच्छा तुम हो, तुम भी चलो मेरे साथ। हवलदार, इन दोनों को हथकड़ी लगा लो और गांव वालो सुनो शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 19 वर्ष होना अनिवार्य है। नहीं तो ऐसी कार्यवाही सबके साथ होगी।

(थानेदार– दोनों को लेकर चला जाता है)

औरतों के बीच से– किसने आग लगा दी –

(गीत– पढ़ना है, पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है)

(पुष्पलता, रजबुलनिशां, कुसुम, कीर्ति शर्मा, दीपा, संतोष, विभा, अनुपम)

''कहां गयीं वो खुशियां''

पात्र

पति	गगन
पत्नी	चंदा
लड़का	सूरज
लड़की	किरण
दोस्त	प्रमोद
सूत्रधार	

प्रारंभ (समूह साथी गोल घेरे में धुन गुनगुनाते एवं नाचते हुए)

(दृश्य एक)

सूरज और किरण घर के आंगन में खेल रहे हैं।
घर का काम कर रही है।

बच्चे — मॉं–मॉं–मॉं, हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाओ, सुनाओ ना।

चंदा — अच्छा हां सुनाती हूं। (एक कछुआ था, एक खरगोश ....)
कहानी सुनते–सुनते बच्चे सो जाते हैं।
(गगन मिल से घर पर आता है।)

गगन — चंदा ओ चंदा, दरवाजा खोलो – खोलो

चंदा — आती हूं। (दरवाजा खोलते हुए आ गये आप) आज देर कैसे हो गयी।

गगन — हां चंदा ! यह मेरा टिफिन रख दो, चंदा बच्चे सो गये। बस में काफी भीड़ थी इसलिए देर हो गयी।

चंदा — कल एक तारीख है। तन्ख्वाह मिलेगी तो सूरज के लिए जूते और किरण के लिए अच्छी सी गुड़िया लेकर आना। देखो भूलना नहीं। कब से बच्चे जिद कर रहे हैं।

गगन — अच्छा–अच्छा, हां कल मैं बच्चों की दोनों चीज लेकर आऊँगा। और चंदा तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी भी। अच्छा चंदा अब सो जाते हैं। काफी रात हो गयी। सुबह जल्दी उठ कर फैक्टरी जाना है।
(प्रातः मिल का छः बजे का सायरन बजता है)

चंदा — छः बज गये उठिये आपको फैक्टरी जाना है। आप तैयार हो जाइये। मैं आपका टिफिन तैयार करती हूं।

गगन — ठीक है चंदा।

चंदा — सूरज बेटा, किरण बेटी, सुबह हो गयी, उठो तुम्हें स्कूल जाना है।

चंदा — लीजिए चाय नाश्ता कर लीजिए।

गगन — ठीक है चंदा बच्चे उठ गये क्या? उन्हें भी जल्दी से चाय नाश्ता दे दो। नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी।

बच्चे — पापा–पापा आज हमारे लिए आप जरूर जूते लेकर आना।

किरण — पापा–पापा मेरे लिए गुड़िया अच्छी सी।

गगन — अच्छा बेटा, आज शाम को जरूर लेकर आऊँगा। जाओ अब तुम जल्दी से स्कूल जाने की तैयारी करो।

चंदा — टिफिन गगन को देते हुए शाम को जल्दी आना।

गगन — ठीक है चंदा मैं जल्दी शाम को आऊँगा। चंदा मैं जाता हूं तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो।

(मिल का दृश्य)

मिल में गगन मशीन चालू करता है। पांच बज जाने के बाद मशीनें बंद कर देता है।

(पांच बजे सायरन बजने पर)

(रास्ते का दृश्य)

(रास्ते में गगन का खास दोस्त प्रमोद मिल जाता है।)

प्रमोद — कहो मित्र गगन क्या हाल है। कहां रहते हो आजकल दिखते नहीं हो। ईद के चांद बने हो। क्या भाभी ने जादू कर रखा है।

गगन — नहीं यार प्रमोद ऐसी बात नहीं है। फैक्टरी का काम, शाम को बच्चों एवं पत्नी के साथ में बड़े मजे में समय बीत जाता है।

प्रमोद — गगन यार बाजार चल रहे हो।

गगन — हां–हां आज बाजार जाना है। बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना है।

प्रमोद — क्यों भैया, आज तन्खाह मिली है। भाभी के लिए साड़ी–वाडी नहीं खरीदोगे।

गगन — हां–हां तुम्हारी भाभी के लिए भी साड़ी खरीदनी है। चलो बाजार चलते हैं। बाजार में सामान खरीदते हैं।

(प्रमोद किरण के लिए गुड़िया खरीदता है। गगन से कहता है यह मेरी ओर से मेरी भाभी जी के लिए)

गगन — चलो भैया अब घर चलते हैं। ठीक है . . . .

प्रमोद — (रास्ते में) यार गगन कुछ थकान सी लग ही है। मैं जरा पतली गली से होकर आता हूं। तुम भी साथ चलो।

गगन — क्या यार वो ही पतली गली। (शराब के ठेके वाली)

प्रमोद — हां तुम तो जानते हो कि इसके बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती है।

(ठेके पर)

(प्रमोद शराब की बोतल लेकर आता है और एक गिलास में डाल कर पीने लगता है। पीते–पीते प्रमोद गगन से कहता है यार गगन तुम भी थोड़ी ले लो।)

गगन — नहीं–नहीं यार मैं शराब नहीं पीता। यह अच्छी चीज नहीं है। सिवाय बर्बादी के।

प्रमोद — नहीं–नहीं यार इससे कुछ नहीं होता है। यह तो अमृत है, अमृत। पी लो यार, एक घूंट पी ले। यार की बात मान ले।

गगन — नहीं, मैं नहीं पीऊँगा।

प्रमोद — तुझे मेरे सर की कसम थोडी पी ले।

गगन — अच्छा यार ला दे एक पैग पी लेता हूं।

(और गगन काफी शराब पी लेता है)

ठहाका लगाते हुए यार प्रमोद यह तो बड़ी मीठी है। थोड़ी सी और दे दे। दोनों फिर नशे में झूम जाते हैं।

(रास्ते में दोनों अपने–अपने दरवाजे घर की ओर हो लिए।)

गगन — (घर के दरवाजे पर आकर) चंदा ओ चंदा दरवाजा खोलो कम सुनती हो क्या?

चंदा — (बच्चों को पढ़ाती हुई) उठती है और दरवाजा खोलने आती है। दरवाजा खोलती है।

गगन — इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में क्या बहरी हो।

चंदा — अरे तुम शराब पीकर आये हो।

गगन — हां पीकर आया हूं। अपने पैसों की पी है। तू कौन होती है पूछने वाली। तेरे बाप के पैसों की थोडी पी है। हट पीछे। अपनी कमाई की पी है। अपनी कमाई की पी है।
ये ले बच्चों के जूते, गुड़िया और ये साड़ी (फेंकते हुए)। जा खाना लगा।
(चंदा खाना लगाती है)

गगन (खाना खाते हुए) ये ऐसा खाना, ऐसी सब्जी, कैसा खाना बनाया है और खाने की थाली फेंक देता है।

सूत्रधार इस तरह से गगन रोज–रोज शराब पीकर घर आने लगा। यहां तक कि पत्नी के गहने, घर का सामान, शराब में बेच दिया। बच्चों की फीस समय से न भरने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। भूख के कारण बच्चे बीमार रहने लगे। उनकी दवाई के भी पैसे नहीं रहे। एक दिन गगन को फैक्टरी से निकाल दिया गया। और एक दिन तो हद ही हो गयी –

(गगन ढ़ेर सारी शराब पीकर घर आता है)

गगन दरवाजा खट, खट, खट। चंदा, ओ चंदा बहरी हो गयी हो क्या।

चंदा आ रही हूं।

गगन कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं।

(गगन चंदा को धक्का देते हुए चंदा को नीचे गिरा देता है। बच्चे रोते हुए बोलते हैं – पापा–पापा, मम्मी को मत मारो, गगन दोनों को धक्का दे देता है।)

गगन तुम भी मां की तरफ बोल रहे हो।

(बच्चों को मारता व लातों से पीटता है जिससे सूरज को पेट में गम्भीर चोट लगती है और वह वहीं कराहने लगता है।)

चंदा मेरे बच्चों को मत मारो, मुझे जितना मार लो, रोते–रोते गगन चंदा को भी लातों और हाथों से बहुत मारता है और जमीन पर गिर जाता है।

(इधर सूरज चोट के कारण तड़पता रहता है)

छोटी बहन किरण पड़ोस में अपने भाई सूरज के लिए मदद मांगती है।

मीरा बाबू जी पैसा दे दो, मेरा भाई बहुत बीमार है। (उसे कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है। सभी पड़ोस वाले उसको झिड़क देते हैं।(इधर सूरज धीरे–धीरे निढ़ाल हो जाता है और प्राण त्याग देता है।)

चंदा सूरज, बेटे सूरज, कुछ तो बोल, क्या हो गया तुझको, तू क्यों नहीं बोलता है, सूरज,सूरज। किरण देख तो तेरा भाई क्यों नहीं बोल रहा है। इसकी तो सांस भी नहीं चल रही है, ये क्या हो गया। इसे जोर की आवाज से – "सूरज" .... और वातावरण में सन्नाटा छा जाता है।

(नाटक के अंत में लय)

"तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे,
"तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे,
"तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे,
"तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे, तक तय्या रे।"
हूं ....

सूत्रधार

गगन ने शराब की बोतल उठाई लेकिन शराब की बोतल क्या, क्या नहीं पी गयी। गगन और चंदा का प्यार, बच्चों की फीस, घर की खुशहाली, बच्चों की किलकारी।

आज गगन का परिवार शराब के कारण दर–दर भटक रहा है। कहां गयी वो खुशियां, कहां गयीं बच्चों की किलकारियां, कहां गया चंदा का प्यार। कहां खो गयी वो खुशहाली?

(अलका, बबीता, संतोष, कीर्ति शर्मा, मीरा, कुसुम, मंजू, सुशीला, मन्नन)

नाटक

दहेज :

धुन

एक, दो, तीन, पम–पम–पम, पम–पम–पम
(माहौल तैयार करने के लिए)

गीत

हर खॉस वो आम गौर से सुनना ये कहानी–2
औरत की कहानी है औरत की जुबानी–3

पात्र

ससुराल के			मायका के		
1-	ससुर	समसेर	1-	अगुआ	रामप्रसाद (उषा का भाई)
2-	सास	उषा	2-	समधी	किसुन
3-	बेटा	संजय	3-	बेटी	लाजो
4-	बेटी	मीरा	4-	बेटी की मां	चम्पा
5-	बहू	लाजो			

मीरा — रोटी बनाती है तब तक उसकी माँ आ जाती है।

उषा — बिटिया रोटी हम बना लेते हैं, तुम जाओ पढ़ो।

समसेर — बेटी के पिता घर में प्रवेश करते है और मीरा से बोलते हैं अपनी मां को भेजो।

उषा — पति के पास जाती है, बोलती है क्या है जी
(इतने में समसेर सिंह अपने पड़ोसी भाई कल्लू के बेटे के शादी में जो दहेज मिला है, कलर टी.वी., फ्रीज, एक लाख रूपया के बारे में आश्चर्य से पत्नी को बताते हें। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।)

समसेर — मीरा बिटिया देखो कौन आया है, दरवाजा खोलो, कौन है।

मीरा — दौड़ कर दरवाजा खोलती है, पिताजी मामाजी आये हैं।

उषा — अरे रामप्रसाद भइया, आइये–आइये क्या हाल–चाल है।
(साला व बहनोई, एक–दूसरे को नमस्ते करते हैं। राम प्रसाद अपने बहनोई को बताता है कि उसका दोस्त किसुन; संजय की शादी के लिए आए हैं।)

समसेर — (समसेर उषा को कहते हैं) चाय, नाश्ता अपने भैया के लिए लाओ।

किसुन — हम अपनी बेटी लाजो की शादी के लिए आये हैं। आपका बेटा कितना पढ़ा है और क्या करता है?

समसेर — मेरा बेटा 16 पास है और तुम्हारी लड़की कितना पढ़ी है? हमारी लड़की 10 तक पढ़ी है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी। फोटो देख लीजिए।

किसुन — आप की मांग क्या है?

समसेर — आज के युग में जो चल रहा है वही चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से ही चाहिए क्योंकि बेटा मेरा चांद का टुकड़ा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग, जमीन–जायजाद सब उसका ही है। इकलौता बेटा है।
बहुत नहीं फिर भी एक लाख रूपया, कलर टी.वी., फ्रीज। अरे हां ! मेरा बेटा तो हेलीकोप्टर लेने लायक है लेकिन आप हेलीकोप्टर नहीं तो टर ही दे देना।

किसुन — अगुआ रामप्रसाद से पूछता है ये टर क्या होता है दोस्त।

रामप्रसाद — अरे यार नहीं जानते हो। (रामप्रसाद समसेर जीजा को इशारा करता है बताने के लिए।)

समसेर — अरे किसुन भाई, ट्रैक्टर, मोटर। अच्छा चलिए एक स्कूटर ही दे दीजिएगा।

किसुन — समसेर भइया शादी में तो नहीं लेकिन कोशिश करेंगे कि विदाई में स्कूटर दें।

समसेर — पक्का है न, विदाई में दोगे।

किसुन हाँ, हाँ जरूर। (अगुआ संजय को बुलाकर किसुन से चांदी का सिक्का, देखने की दिखाई दिलवाते हैं।)

(दृश्य दो)

(किसुन अपने घर वापस आता है, अपनी औरत चम्पा को बुलाता है। अरे चम्पा कहां हो, सुनो खुशी की बात है।)

चम्पा बताइए क्या है, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं।

किसुन मैं ओर मेरे दोस्त रामप्रसाद लाजो बिटिया की शादी तय करके आ रहे हैं। लाजो बिटिया राज करेगी, राज। बड़ा अच्छा घर–द्वार, सास–ससुर, लड़का है।

चम्पा परिवार तो छोटा है न। कहीं ज्यादा रोटी तो नहीं बनाना पड़ेगी।

किसुन नहीं, नहीं छोटा परिवार है, लड़का बहुत ही सुन्दर है।

चम्पा लडका शराब तो नहीं पीता है, बुरी संगत में तो नहीं है।

किसुन नहीं, नहीं; क्या बात करती हो, इतना अच्छा परिवार है कि क्या बताएं।

चम्पा अच्छा चलिए इस समय पैसे भी तो नहीं हैं खेत बेच देते हैं।

रामप्रसाद अरे भाभी मेरा भान्जा है कोई कमी नहीं है। लाजो राज करेगी।

(दृश्य तीन)

मीरा मीरा काफी खुश है और अपनी सहेली से संजय की शादी के बारे में बताती है कि अब हम टर पर घूमेंगे। भाभी आएगी।

समसेर उषा से बोलता है, मैं पण्डित के यहां मुहूर्त निकलवाने जा रहा हूं, तुम्हारे भैया आयेंगे तो बैठाना।

रामप्रसाद जीजा, जीजा शादी की क्या तारीख है, कब होगी?

समसेर यह लीजिए कार्ड, 4 तारीख को बारात जाएगी।

(दृश्य चार)

इसके बाद बैन्ड–बाजा के साथ बारात जाती है। सभी नाचते–गाते जाते हैं।

गीत

1 आज मेरे यार की शादी है . . . . । बार–बार

2 ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे . . . . . बार–बार

पण्डित ओउम् नमो स्वाहा – पति को शराब पिलाना स्वाहा, सास से रोटी बनवाना स्वाहा, ससुर से कपड़े धुलवाना स्वाहा, ननद से पांव दबवाना स्वाहा।

किसुन विदाई की तैयारी करता है।

समसेर (किसुन से) दोस्त आपका टर कहां है? कुछ तो दहेज दिखाई नहीं दे रहा है।
किसुन ठहरो ! (तेज स्वर में गुस्से में बोलते हुए) विदाई नहीं होगी, बारात वापस लौट जाएगी।

किसुन समधी समसेर से गिड़गिड़ाता है। अपनी पगड़ी उतार कर पांव पर रख देता है। बोलता है मेरी लाज रख लीजिए। इज्जत का सवाल है। चौथी में स्कूटर लेकर आयेंगे।

समसेर पांव से पगड़ी फेंक देते हैं। इतने में रामप्रसाद व समसेर का दोस्त समझाते हैं फिर विदाई होती है।

समसेर किसुन ध्यान से कान खोलकर सुनलो चौथी में स्कूटर जरूर लेकर आना। विदाई होती है।

(विदाई गीत)

1

पीली चुंदरी ओढ़के लाजो हो गई आज पराई रे – 2
जिस गलियन में बचपन खेला डोले आज जवानी रे।
द्वार खड़े पापा समझाए,
कभी–कभी लाजो खत लिखवाना, कभी मिलन को आना रे।

बाबुल से दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले
मयके की हमेशा याद आए ससुराल में इतनी मार मिले।

(दृश्य पांच)

लाजो — ससुराल पहुंचकर सास–ननद का पांव छूती है। टर न मिलने से काफी सताई जाती है।

समसेर — उषा, ये उषा देखो तीन माह आये लाजो को हो गया अभी तक उसका बाप स्कूटर लेकर नहीं आया।

उषा — इसीलिए हम बोल रहे थे कि शादी ठोक बजा कर करिए।

समसेर — उषा से कहता है, संजय से कहो कि लाजो को मायके भेजे, कहे कि स्कूटर लेकर आना।

उषा — संजय बेटा, संजय ए संजय

संजय — हां मां आया।

उषा — जब देखो तब घर के अंदर घुसे रहते हो। दो दिन की आई छोकरी ने इसे अपने बस में कर लिया है। मेहरा बन गये हो। माता–पिता का जरा भी ध्यान नहीं है। तुम अपने दोस्तों से मिलने कैसे जाओगे, लाजो से बोलो स्कूटर जाकर लाए।

संजय — उदास होकर चुपचाप कमरे के अंदर जाता है। (इतने में लाजो संजय से पूछती है।)

लाजो — स्वामी जी सासू मां क्या कह रही थी। (संजय थोड़ी देर चुप रहता है, पर लाजो बार–बार पूछती है, सासु मां क्यों डांट रही थीं। फिर भी संजय नहीं बताता है। अंत में बता देता है कि मां कह रही थी कि लाजो को मायके भेज दो, कहो कि स्कूटर लेकर आए।
(लाजो परेशान होती है, कहती है, खेत बेचकर पिताजी शादी किये हैं। कैसे स्कूटर देंगे।)

संजय — यह बात तो अम्मा, पापा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, परेशान मत होवो।

उषा — संजय, संजय ए संजय लाजो को स्कूटर लाने के लिए क्यों नहीं भेजते हो तुम्हारे पापा कह रहे हैं, उसे मायके भेज दो।

संजय — मां लाजो कहां से स्कूटर लाएगी, उसके पिता के पास अब कुछ नही बचा है। खेत बेच कर दहेज दिये हैं।

समसेर — इतने में मां व बेटे के बीच पिता आता है और संजय को डांटता है। तुम अपनी मां से जुबान लड़ाते हो। तुम्हारी पढ़ाई–लिखाई में मैंने इतना पैसा खर्च किया और वह एक स्कूटर नहीं दे सकता। तुम्हारे दोस्त तुमको क्या कहेंगे बेटा? तुम मेरी बात मानो और लाजो को मायके स्कूटर के लिए भेज दो।

संजय — अच्छा पापा यह बात है तो मैं अभी लाजो को ठीक करता हूं।

(गीत - गोल घेरे में)

हर खास वो आम गौर से सुनना ये कहानी,
औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी । . . . 3

मीरा — इतने में मीरा दौड़ कर, अम्मा और पापा के पास आकर कहती है, मां, मां भइया चोरी से भाभी को पता नहीं क्या दिये हैं।

संजय — नहीं मां, नहीं कुछ नहीं दिया है। संजय मीरा को मारने दौड़ता है।

उषा — संजय लाजो को तुरन्त भेजो। बोलो, मायके से जाकर स्कूटर लाओ।

लाजो — रोटी बनाना छोड़ कर रोती हुई मायके चली जाती है।

(दृश्य छह)

(रोती हुई अपनी माता–पिता के घर पहुंचती है और फूट–फूट कर रोती है।)

चम्पा — मां और पिता दोनों समझाते हैं। कहते हैं बिटिया अब हम कुछ देने योग्य नहीं हैं। खेत बेचकर शादी किये हैं। अब घर बचा है। अभी तुम्हारी दो बहनें शादी करने के लिए बाकी हैं। वापस उसी घर चली जाओ। यहां से तुम्हारी डोली उठी थी, वहां से अर्थी निकलेगी। तुम हमारी बात मानो ससुराल चली जाओ।

(दृश्य सात)

लाजो	लाजो रोते हुए ससुराल आती है। धीरे–धीरे अपने कमरे में जाती है।
समसेर	अरे मीरा कहां हो, दरवाजे पर, देखो लाजो हो सकता है नगद कैश लाई हो।
उषा	लाजो के पास जाती है और बोलती है लाजो कुछ लाई हो कि नहीं।
लाजो	उषा का पैर छूती है और रोने लगती है।
उषा	अरे बोलो तो सही क्या हुआ।
लाजो	लम्बी सांस लेकर अटक–अटक कर धीरे–धीरे बोलती है। सासूमां मेरी मां बोली है अब कुछ नहीं बचा है। मैं स्कूटर कैसे दूं। अभी दो बेटी शादी के लिए बैठी हैं।
समसेर	तुरन्त प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि मायके में भी तुमको खाना नहीं मिला। बोलती क्यों नहीं है। क्या दिया तुम्हारा बाप। स्कूटर क्यों नहीं लाई। क्या खाली हाथ वापस आई है।
उषा	इसके बाप ने स्कूटर नहीं दिया। यह खाली हाथ आई है।

(दृश्य आठ)

	(लाजो शाम का खाना बना रही थी।)
समसेर	उषा, संजय, मीरा सभी लोग मेरे कमरे में आओ।
मीरा	आई पापा जी और सभी लोग एक साथ बैठते हैं।
समसेर	सुनो अब एक उपाय और भी है।
उषा	बोलिए स्वामी जी क्या उपाय है बताइए।
समसेर	आज शाम को लाजो को आग से जलाकर किचन में मार डालो और संजय की दूसरी शादी करेंगे।
उषा व मीरा	उषा और मीरा एक साथ बोलती हैं। तभी स्कूटर घर में आ सकता है।
संजय	लेकिन मेरी लाजो . . . . कहां मिलेगी।
समसेर	चुप रहो ! जब देखो तब लाजो, लाजो रट लगाता है।
उषा	अरे संजय बेटवा दूसरी लाजो लाएंगे, क्यों परेशान होते हो। संजय चुप रहता है। (संजय लाजो को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है, ठीक है।)
समसेर	इतने में गेट के पास जाकर समसेर झांकता है कि कोई आ तो नहीं रहा है।
लाजो	खाना पकाती है। इतने में किचन में उषा, मीरा, संजय प्रवेश करते हैं और मिट्टी का तेल संजय डालता है। उषा माचिस जलाती है। मीरा लाजो को पकड़े हुए है।
लाजो	तेज स्वर में चिल्लाती है अरे यह क्या कर रहे हो? (लाजो आग में लिपटी इधर–उधर तड़पती है। उसकी चीत्कार सभी को स्तब्ध कर देती है। लाजो धू–धू कर दहेज की आग में स्वाहा हो जाती है। लाजो की एक लम्बी चीख आ . . . . और वह दम तोड़ देती है।)

(लोक गीत)

सर पर चढ़ल दहेजवा
दल–दल में डुबे समजवा
दहेजवा डंक मारेला
समजवा आंसू गारेला।

(दुर्गावती, ऊषा, बबीता, मीरा, संजय, मन्नन, अंजू, चम्पा)